विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन
स्वायत्त निकायों के प्रशासनिक कार्यकलाप
पर
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

संघ सरकार

(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग)

2016 का प्रतिवेदन संख्या 26

(अनुपालन लेखापरीक्षा)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन

स्वायत्त निकायों के प्रशासनिक कार्यकलाप

पर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

संघ सरकार

(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग)

2016 का प्रतिवेदन संख्या 26

(अनुपालन लेखापरीक्षा)

विषय सूची

	पैरा	पृष्ठ
प्राक्कथन		i
कार्यकारी सारांश		iii
अध्याय 1 - प्रस्तावना		
पृष्ठभूमि	1.1	1
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.2	2
लेखापरीक्षा मानदंड	1.3	2
लेखापरीक्षा नमूना, क्षेत्र एवं क्रियाविधि	1.4	3
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संरचना	1.5	4
अभिस्वीकृति	1.6	4
अध्याय 2 - स्वायत्त निकायों की नियामक रुपरेखा		
पृष्ठभूमि	2.1	5
स्वायत्त निकायों का गठन	2.2	5
शासन	2.3	8
निष्कर्ष	2.4	9
अनुशंसा	2.5	9
अध्याय 3 - स्वायत्त निकायों की प्रशासकीय कार्यप्रणाली		
प्रस्तावना	3.1	11
नियमावली एवं बाई लॉज में प्रतिबंधात्मक खंड को शामिल नही किया जाना	3.2	11
पदों का सृजन	3.3	12
भर्तियाँ	3.4	13
कर्मचारियों की पदोन्नति	3.5	25
कर्मचारियों की पात्रता	3.6	29
कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति	3.7	33
सेवाओं की आउटसोर्सिंग	3.8	34
निष्कर्ष	3.9	35
अनुशंसा	3.10	35

अध्याय 4 - डी.एस.टी. के निगरानी कार्य		
प्रस्तावना	4.1	37
समानांतर समीक्षा नहीं करना	4.2	37
सहायता अनुदान जारी करने में नियंत्रण की कमी	4.3	38
उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की निगरानी	4.4	38
आंतरिक लेखापरीक्षा में कमियाँ	4.5	39
निष्कर्ष	4.6	40
अनुशंसा	4.7	41
परिशिष्ट	43-62	
शब्द संग्रह	63-65	

प्राक्कथन

यह रिपोर्ट संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

यह रिपोर्ट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत स्वायत्त निकायों के प्रशासकीय कार्यकलाप के अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणामों को शामिल करती है। इस रिपोर्ट में वे प्रमाण वर्णित किये गये है जो 2009 से 2014 की अवधि में लेखापरीक्षा में देखे गये थे तथा साथ ही वे भी, जो पिछले वर्षों में देखे गये; मार्च 2014 की अवधि के बाद के मामले भी, जहां उचित थे, शामिल किये गये हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरुप की गई है।

कार्यकारी सारांश

प्रस्तावना

विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम.एस.टी.) के अंतर्गत विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) की स्थापना विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी (एस. एंड टी.) के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ तथा देश में एस. एंड टी. गतिविधियों के आयोजन, समन्वय और बढ़ावा देने हेतु एक नोडल विभाग की भूमिका निभाने के लिए की गई थी। डी.एस.टी. के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत तथा उसके द्वारा वस्तुत: वित्त पोषित 28 स्वायत्त निकाय हैं, जो देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं।

सार्वजनिक धन पर स्वायत्त निकायों की पर्याप्त निर्भरता, जो उनके मामलों के संचालन में सरकार के निर्देशों के अनुपालन को जरूरी बनाता है, को ध्यान में रखते हुए 2009 से 2014 तक की अवधि को कवर करते हुए डीएसटी के 19 चयनित स्वायत्त निकायों के विनियमन, प्रशासनिक कामकाज और निरीक्षण का अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया।

मुख्य निष्कर्ष

चयनित स्वायत्त निकायों के विनियमन, प्रशासनिक कार्य एवं निरीक्षण पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्न प्रकार है:

स्वायत्त निकायों का विनियामक रूपरेखा

सामान्य वित्त नियमावली के नियम 208 के अनुसार मंत्रिमंडल की मंजूरी के बिना मंत्रालयों अथवा विभागो द्वारा किसी नये स्वायत्त संस्थान का सृजन नही किया जाना चाहिए। हमने पाया कि इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मैटलर्जी, हैदराबाद मंत्रिमंडल की मंजूरी के बिना पंजीकृत सोसायटी है। डी.एस.टी. ने इस केन्द्र को 2009-14 के बीच ₹ 241.04 करोड की राशि संस्वीकृत किया था।

(पैरा 2.2.1)

बोस संस्थान, कोलकाता, जो सोसायटीज एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत था, ने पश्चिम बंगाल सोसायटीज एक्ट 1961 के प्रावधानो का अनुपालन नही किया। इसके बावजूद डी.एस.टी. ने संस्थान को सहायता अनुदान जारी किया था।

(पैरा 2.2.2)

1988 से 2011 की अवधि के दौरान प्रोद्योगिकी सूचना एवं पूर्वानुमान मूल्यांकन परिषद, दिल्ली का चार बार पुनर्गठन किया गया। फिर भी इस प्रकार के पुनर्गठन हेतु सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी, जैसा कि परिषद के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के तहत आवश्यक था, चार अवसरो में से तीन पर प्राप्त नही की गई थी।

(पैरा 2.3.1)

स्वायत्त निकायों की प्रशासनिक कार्यप्रणाली

17 स्वायत्त निकाय वित्त मंत्रालय के उन निर्देशों का पालन करने में असफल रहे जिनके अनुसार वित्तीय प्रभाव वाले मामलों में शासी निकायों की शक्तियों के बारे में प्रतिबंधात्मक खंडों को नियमों और उप नियमों में शामिल किया जाना था।

(पैरा 3.2)

यदयपि स्वायत्त निकायों को पदों के सृजन अपग्रेड करने क कोई अधिकार नहीं है, तथापि 11 स्वायत्त निकायों द्वारा 486 पद सृजित अपग्रेड किए गए थे।

(पैरा 3.3.1)

13 स्वायत्त निकायों द्वारा बनाई गई भर्ती नियमावलियों में सरकार के नियमों एवं आदेशों का उल्लंघन किया गया था जिसके लिए वित्त मंत्रालय की मंजूरी नहीं प्राप्त की गई थी।

(पैरा 3.4.3)

जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, बेंगलुरू तथा श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम शैक्षिक कर्मचारियों के वेतन ढांचे के अंगीकरण पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों/अनुदेशों का

पालन करने में असफल रहे। उच्चतर वेतन स्केल को अपनाने का परिणाम शैक्षिक कर्मचारियों की भर्ती एवं पदोन्नति पर ₹ 6.43 करोड के अधिक व्यय के रुप में हुआ।

(पैरा 3.4.6, 3.4.7(बी) एवं 3.5.1(ii))

श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम, द्वारा फ्लेक्सिबल कंप्लीमेंटिंग स्कीम के अंतर्गत पदोन्नति प्रदान करने में अनियमितता का परिणाम ₹ 8.70 करोड़ के अस्वीकार्य भुगतान के रूप में हुआ।

(पैरा 3.5.4)

श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम ने अपने कर्मचारी को क्लीनिकल रिसर्च भत्ता एवं लर्निंग रिसोर्स भत्ते का अनधिकृत भुगतान किया, जिसका परिणाम ₹ 6.86 करोड के अनियमित व्यय के रुप में हुआ। संस्थान ने अपने अपात्र कर्मचारियों को हास्पिटल रोगी परिचर्या भत्ता के रुप में ₹ 1.53 करोड का भुगतान भी डी.एस.टी. से मंजूरी लिए बिना किया।

(पैरा 3.6.1 एवं 3.6.2)

तीन स्वायत्त निकायों ने अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवा विस्तार सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना दिया, जिसका परिणाम ₹ 3.41 करोड़ के अस्वीकार्य भुगतान के रूप में हुआ।

(पैरा 3.7.2)

डी.एस.टी. का निगरानी कार्य

डी.एस.टी. द्वारा अपने 17 चयनित स्वायत्त निकायो मे से किसी का भी समानांतर समीक्षा नहीं किया गया था जैसा कि सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 208 (6) में परिकल्पना की गई थी।

(पैरा 4.2)

डी.एस.टी. द्वारा स्वायत्त निकायों को जारी किए गए संस्वीकृति पत्रों में अनुदानों की प्रकृति अर्थात आवर्ती अथवा गैर आवर्ती पृथक नही किया गया था जैसा कि सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 209(5) में कहा गया था।

(पैरा 4.3)

स्वायत्त निकायों द्वारा डी.एस.टी. को प्रस्तुत किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट, परिमाणात्मक तथा गुणात्मक लक्ष्यों के बारे में उपलब्धियों के साथ साथ वास्तविक व्यय एवं भंडार व परिसंपत्तियों के आपूर्तिकर्ताओं को, एजेंसियों को, कर्मचारियों को गृह निर्माण एवं वाहन की खरीद आदि हेतु दिए गए ऋण एवं अग्रिम का ज़िक्र नहीं था जैसा कि सामान्य वित्तीय नियमावली में उल्लिखित था।

(पैरा 4.4)

वार्षिक लेखापरीक्षा हेतु डी.एस.टी. द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध स्वायत्त निकायों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने मे 39 प्रतिशत से लेकर 61 प्रतिशत तक की कमी थी।

(पैरा 4.5)

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने पाया कि एक स्वायत्त निकाय को मंत्रीमंडल की अनुमति के बिना बनाया था, एक स्वायत्त निकाय ने राज्य एक्ट के आवश्यक प्रावधानों को नहीं अपनाया जिसके वजह से राज्य एक्ट के प्रावधानों की अनुपालना में विसंगतियां थी। इन स्वायत्त निकायों द्वारा आवश्यक कानूनी अनुपालना को जांचे बिना ही डी.एस.टी. ने इन स्वायत्त निकायों को, दिनचर्या तरीके से, अनुदान देना जारी रखा। चयनित स्वायत्त निकायों की प्रशासनिक कार्यप्रणाली लागू नियमों व प्रावधानों के अनुसार नहीं थी। पदों की सृजनता, नियुक्ति, वैज्ञानिकों की पदोन्नति नियम, स्टॉफ पात्रता, सेवानिवृत मामलों तथा सेवाओं की आउटसोर्सिंग में नियमों व प्रावधानों का उल्लंघन था। डी.एस.टी. का अपने स्वायत्त निकायों के ऊपर निगरानी नियंत्रण कमजोर था। जीएफ़आर के प्रावधानों के अनुसार कोई समानांतर समीक्षा नहीं की गई थी, जिसके कारण स्वायत्त निकायों के प्रदर्शन के परिमाण का मूल्यांकन नहीं किया गया। डी.एस.टी. द्वारा अनुदानों के भुगतान हेतु संस्वीकृति पत्रों में अनुदानों की प्रकृति स्पष्ट नहीं की। स्वायत्त निकायों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्रों के जमा करने की निगरानी लचर थी। 19 स्वायत्त निकायों द्वारा डी.एस.टी. को प्रस्तुत किए गए

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में से किसी में विनिर्दिष्ट, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक लक्ष्यों के बारे में उपलब्धि निहित नहीं थी। डी.एस.टी. द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा करने में कमी थी।

सिफारिशों का सार

डी.एस.टी. इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेन्टर फॉर पाउडर मेटलार्जी एण्ड न्यू मेटिरियल, हैदराबाद के एक स्वायत्त निकाय के रुप में स्थापना हेतु तथा इसकी निरंतरता को नियमित करने के लिए मंत्रिमण्डल से कार्योतर अनुमोदन प्राप्त करें तथा सुनिश्चित करे कि स्वायत्त निकायों के सृजन के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन हो रहा है।

डी.एस.टी. प्रत्येक स्वायत्त निकाय के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तथा विनियमों का निरीक्षण करें तथा उक्त के प्रावधानों में लागू केन्द्र/राज्य सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट से अनुरुपता को सुनिश्चित करे।

डी.एस.टी. स्वायत्त निकायों के बाई लॉज में संबंधित धाराओं, जिनमें इन स्वायत्त निकायों के शासी निकायों/परिषदों द्वारा पदों के सृजन, भर्तियों, पदोन्नतियों, सेवानिवृतियों, स्टॉफ अनुदान/ अधिकार और अन्य प्रशासकीय मामलों में उपयोग की जाने वाली शक्तियों की सीमा वर्णित होती है के समावेश को सुनिश्चित करे।

डी.एस.टी. विश्वविद्यालयों के रुप में मान्यता प्राप्त स्वायत्त निकायों की आय संरचना पर यू.जी.सी. के निर्देशों के अनुसरण को सुनिश्चित करें।

डी.एस.टी. अपने प्रशासकीय नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाले सभी स्वायत्त निकायों की समान्तर समीक्षा के संचालन हेतु तंत्र विकसित करे। डी.एस.टी. अपने आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र को सुदृढ करे।

1 अध्याय

प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमएसटी) के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) की स्थापना मई 1971 में विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी (एस. एंड टी.) के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने तथा देश में एस. एंड टी. गतिविधियों के आयोजन, समन्वय और बढ़ावा देने हेतु एक नोडल विभाग की भूमिका निभाने के उद्देश्य के साथ की गई थी। डी.एस.टी. वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों, वैज्ञानिक संघों व निकायों के साथ-साथ डी.एस.टी. द्वारा बढ़ावा दिये गए तथा वित्त पोषित स्वायत्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों एवं पेशेवर विज्ञान अकादमियों के माध्यम से अनुसंधान व विकास का समर्थन करता है।

स्वायत्त निकाय (ए.बी.) या तो संसद के अधिनियम द्वारा गठित या सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत या सम्बन्धित राज्य सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, जैसा लागू हों और अनुवर्ती संशोधन के अंतर्गत पंजीकृत विधिक इकाई हैं। फरवरी 2016 तक डी.एस.टी. के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत 28 स्वायत्त निकाय ***(परिशिष्ट।)*** थे।

स्वायत्त निकायों के निदेशक संबंधित स्वायत्त निकायों जिसमें ए.बी और डी.एस.टी.के प्रतिनिधियों के साथ-साथ बाहरी एजेन्सियों के विशेषज्ञ होते हैं। स्वायत्त निकायों का प्रबंधन शासी निकाय (जी.बी.)/ शासी परिषद (जी.सी.) के द्वारा किया जाता हैं। स्वायत्त निकायों के निदेशक संबंधित स्वायत्त निकायों के मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य करते हैं।.

स्वायत्त निकाय पर्याप्त रूप से डी.एस.टी. द्वारा सरकारी अनुदान से वित्त पोषित किए जाते हैं। 2009-10 से 2014-15 में डी.एस.टी. द्वारा स्वायत्त निकायों को जारी किए गए अनुदान की राशि चार्ट 1 में दी गई है।

चार्ट 1: डीएसटी द्वारा स्वायत्त निकायों को जारी किया गया अनुदान

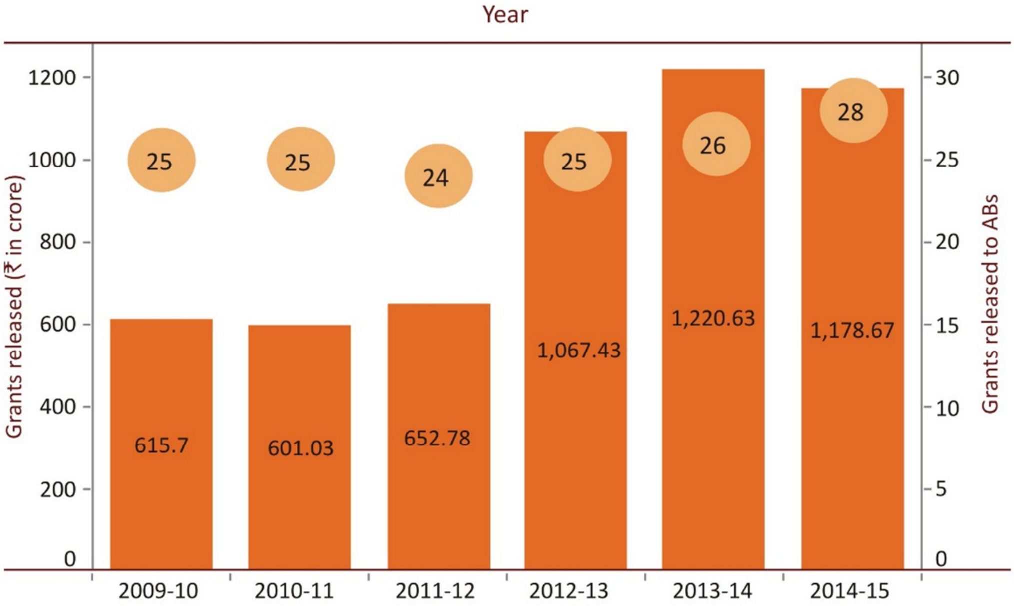

सरकारी अनुदान से इन स्वायत्त निकायों को मुहैया कराए गए पर्याप्त सहायता उनके कार्यों को करने में सरकारी नियमों व निर्देशों के अनुपालन को अनिवार्य बनाता है।

1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह मूल्यांकन करने के लिए किया गया कि-

i. स्वायत्त निकायों ने उनके लिए लागू विधिक व विनियामक रूपरेखा का अनुपालन किया अथवा नहीं;

ii. स्वायत्त निकायों के प्रशासनिक व हक़दारी कार्य नियमों और विनियमों के अनुरूप थें अथवा नहीं; और

iii. डी.एस.टी. ने स्वायत्त निकायों के कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण किया अथवा नहीं।

1.3 लेखापरीक्षा मानदंड

इस लेखापरीक्षा हेतु मानदंड निम्नलिखित में से प्राप्त की गई है:

1. सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860, राज्य सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट एवं अनुवर्ती संशोधन;

2. स्वायत्त निकायों के बाई-लॉज; मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, विनियम,

3. स्वायत्त निकायों के लिए लागू वित्त मंत्रालय (एम.ओ.एफ.) द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन
4. स्वायत्त निकायों के लिए लागू कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन
5. सामान्य वित्त नियमावली एवं अन्य सरकारी नियम जो स्वायत्त निकायों पर लागू है तथा
6. संसद अधिनियम जिसके अंतर्गत स्वायत्त निकाय स्थापित किए गए हैं एवं अधिनियम के प्रावधानों से लिए गए अनुवर्ती नियम तथा विनियम।

1.4 लेखापरीक्षा नमूना, क्षेत्र एवं क्रियाविधि

डी.एस.टी. के 28 स्वायत्त निकायों में से 19 स्वायत्त निकायों का चयन विभिन्न कारकों जैसे कि स्वायत्त निकायों की स्थापना से लेकर अब तक की अवधि, भौगोलिक विस्तार, डीएसटी से प्राप्त अनुदान, तथा डी.एस.टी. के सुझावों के आधार पर किया गया था। 2009-14 की अवधि के दौरान, 19 चयनित स्वायत्त निकायों ने डी.एस.टी. से ₹ 2,962.94 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया तथा ₹ 3,795.46 करोड़ का व्यय किया। अनुदान एवं व्यय का विवरण ***परिशिष्ट II*** में दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक की अवधि को कवर करते हुए लेखापरीक्षा सितंबर 2014 से सितंबर 2015 के दौरान किया गया। हालांकि, जहां कहीं भी आवश्यकता पड़ी, वर्ष 2009 से पहले के अभिलेखों की भी जांच की गई। कुछ मामलों में, जहां, प्रासंगिक था, स्वायत्त निकाय के निर्माण से संबंधित अभिलेखों की जाँच की गई।

लेखापरीक्षा के क्षेत्र में चयनित स्वायत्त निकायों एवं डीएसटी में अभिलेखों की जांच-पड़ताल शामिल थें। डीएसटी, नई दिल्ली में एंट्री मीटिंग 21 नवंबर 2014 को आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा के लिए नमूना, क्षेत्र, उद्देश्य पर चर्चा की गई। एग्जिट मीटिंग 13 मई 2016 को आयोजित की गई जिसमें डी.एस.टी. के सचिव तथा विभागीय प्रमुखों के साथ लेखापरीक्षा के निष्कर्षों की चर्चा की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्षों का प्रत्युत्तर कार्यवृत्त में दर्ज किये गये अनुसार प्रासंगिक पैरा के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा की सिफ़ारिशें भी एग्जिट मीटिंग की कार्यवृत्त के साथ सचिव को जारी की गईं जिसे डीएसटी द्वारा स्वीकार कर लिया गया। डी.एस.टी. ने आगे बताया (जून 2016) कि ड्राफ्ट के उत्तर

या तो संबंधित ए.बी. से प्राप्त नहीं हुए थे या हमें प्रदान करने के लिए ना काफी थे ओर पुष्टि की कि इन्हें ए.टी.एन.स्टेज पर संप्रेषित किया जाएगा।

1.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की सरंचना

प्रतिवेदन का अभिन्यास निम्न प्रकार हैः-

अध्याय 2 - स्वायत्त निकायों का विनियामक ढाँचा,

अध्याय 3 - स्वायत्त निकायों की प्रशासकीय कार्य प्रणाली

अध्याय 4 - डी.एस.टी. के पर्यवेक्षण कार्य

1.6 अभिस्वीकृति

हमारे लेखापरीक्षा संचालन के दौरान डी.एस.टी. एवं 19 चयनित स्वायत्त निकायों द्वारा दिये गए सहयोग को हम स्वीकार करते हैं।

2 अध्याय

स्वायत्त निकायों का विनियामक ढाँचा

2.1 पृष्ठभूमि

संसद के अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित स्वायत्त निकाय, इस अधिनियम में शामिल विनियमों द्वारा शासित हैं जबकि, सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 या राज्य सोसायटीज, रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत, जैसे भी लागू हो, पंजीकृत स्वायत्त निकाय इनके प्रावधानों का पालन करने के लिए अपेक्षित है।

19 चयनित स्वायत्त निकायों में से 17 सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 या राज्य सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड सोसायटीज थे और दो का गठन अलग से संसद के अधिनियमों के अन्तर्गत किया गया था। यह अध्याय 17 चयनित स्वायत्त निकायों के शासी विनियामक प्रावधानों से व्यतिक्रम पर टिप्पणियों को मुख्य रूप से दर्शाता है।

2.2 स्वायत्त निकायों का गठन

2.2.1 मंत्रिमंडल की मंजूरी के बिना गठित स्वायत्त निकाय

सामान्य वित्त नियमावली (जी.एफ़.आर.) के नियम 208 के अनुसार, किसी नए स्वायत्त संस्थान का सृजन मंत्रिमंडल की मंजूरी के बिना मंत्रालयों या विभागों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए।

डी.एस.टी. ने वर्ष 1989-95 के लिए ₹ 46.27 करोड़ की लागत से हैदराबाद में एकीकृत दीर्घकालिक कार्यक्रम[1] के अंतर्गत "एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी की स्थापना" शीर्षक से एक परियोजना की मंजूरी हेतु एक प्रस्ताव व्यय वित्त समिति (ई.एफ़.सी.) के समक्ष प्रस्तुत (मई 1989) किया। यह परियोजना भारत तथा यू.एस.एस.आर. के बीच संयुक्त उपक्रम के रुप में परिकल्पित की गई थी। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति ने परियोजना की मंजूरी (मई 1990) दी तथा 1 नवंबर 1990 को मंजूरी से अवगत कराया गया।

---

[1] भारत सरकार तथा यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स (यूएसएसआर) सरकार जुलाई 1987 में दोनों देशों के बीच एकीकृत दीर्घकालिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग कार्यक्रम पर सहमत हुए।

इसी बीच, डी.एस.टी. ने सात सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एम.ओ.ए. के माध्यम से 'एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी' सोसाइटी का गठन किया तथा आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) पब्लिक सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत अक्टूबर 1990 में पंजीकृत किया । नवंबर 1991 में सोसाइटी का नाम बदलकर 'इंडो-सोवियत एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी' कर दिया गया तथा बाद में यू.एस.एस.आर. के विघटन के कारण, पुनः 17 मार्च 1994 के प्रभाव से नाम बदलकर 'इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स' (ए.आर.सी.आई.) कर दिया गया। डी.एस.टी. ने ए.आर.सी.आई. को 2009-14 के बीच ₹ 241.04 करोड़ की राशि जारी किया।

"एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी की स्थापना" परियोजना को मार्च 1995 में बंद कर दिया गया, फिर भी एआरसीआई स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता रहा।

हमने देखा कि ए.आर.सी.आई. स्वायत्त निकाय के रूप में इसकी स्थापना का उल्लेख मंत्रिमंडल को प्रस्तुत इएफ़सी ज्ञापन में नहीं था। मंत्रिमंडल की मंजूरी परियोजना हेतु थी और 1989 से 1995 तक की निर्धारित अवधि के लिए दी गई थी। स्वायत्त निकाय के रूप में ए.आर.सी.आई. की स्थापना तथा इसे वित्तीय सहायता जारी रखना अनियमित था क्योंकि मंत्रिमंडल द्वारा इसके गठन की मंजूरी नहीं दी गई थी जैसा कि जीएफ़आर के तहत आवश्यक था।

ए.आर.सी.आई. ने स्वीकार किया (फरवरी 2015) कि आंतरिक टिप्पणियों को छोड़कर ए.आर.सी.आई. को स्वायत्त स्थिति प्रदान करने वाली कोई सूचना डीएसटी से प्राप्त नहीं हुई थी। डी.एस.टी. ने एगजिट मीटिंग में बताया (मई 2016) कि ए.आर.सी.आई. की स्थिति फिर जाँचेगे।

2.2.2 स्वायत्त निकाय के एमओए एवं विनियम आवश्यक विधान के अनुरूप नहीं

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 में उपबंधित था कि एम.ओ.ए. में सोसाइटी के नाम, इसका उद्देश्य, शासकों के नाम, पते एवं पेशे, परिषद, निदेशक, समिति अथवा अन्य शासी निकाय जिसको सोसाइटी के नियमों द्वारा, इसके कार्यों का प्रबंधन सौंपा गया था, होना चाहिए। एम.ओ.ए. तथा सोसाइटी के विनियमों की एक प्रति, जी.बी. के कम से कम तीन सदस्यों द्वारा सही प्रतिलिपि होना प्रमाणित किया हुआ, सोसाइटी के पंजीकरण हेतु दायर किया जाना था।

बाद में, सोसाइटीज या गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.), जिनके प्रधान कार्यालय पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित थें, को पंजीकरण प्रदान करने के लिए पश्चिम बंगाल विधानमंडल द्वारा पश्चिम बंगाल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1961 पास किया गया। इसमें प्रावधान भी किया गया था कि बेयर एक्ट, 1860 के अंतर्गत पूर्व में पंजीकृत सोसायटी को नए एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत समझा जाएगा बशर्ते एमओए तथा विनियम, जैसा कि पूर्ववर्ती अधिनियम में उल्लेखित था, बाद वाले अधिनियम के अनुरूप हों। अगर कोई विसंगति पाई जाती है तो नए अधिनियम के प्रख्यापन से छह माह के भीतर उसे ठीक किया जाना था। निर्धारित अवधि के भीतर विसंगति को ठीक नहीं किए जाने के मामले में, विसंगति की हद तक, ये प्रलेख निरर्थक समझे जाएंगे।

बोस इंस्टीट्यूट, कोलकाता (बी.आई.) सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत (मई 1918) किया गया तथा तदनुसार अपना एमओए एवं विनियम दायर किया। बी.आई. का विनियम बाद में मार्च 1945 में संशोधित किया गया।

हमने पाया कि बी.आई. ने पश्चिम बंगाल रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपने एमओए तथा विनियमों को संशोधित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप बीआई के एमओए तथा विनियमों में कई विसंगतियां बरकरार रहीं जैसा कि तालिका 1 में सूचीबद्ध किया गया है।

तालिका 1: पश्चिम बंगाल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1961 के प्रावधानों के अनुसार बीआई के एम.ओ.ए तथा विनियमों में पाई गई विसंगतियां

प.बं. सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 के अनुसार आवश्यकता	एम.ओ.ए. तथा विनियमों में पाई गई कमियां
1. एमओए में सोसाइटी के उद्देश्य निहित होने चाहिए	उद्देश्यों को एम.ओ.ए. के बजाय विनियमों में रखा गया था
2. सोसाइटी की संपत्ति की सुरक्षित अभिरक्षा विशेषकर रखने की पद्धति या सोसाइटी के किसी धन का निवेश करने सहित	'रखने के तरीके या किसी भी धन के निवेश करने' से संबंधित कोई प्रावधान विनियमों में नहीं किया गया था
3. सोसाइटी की बैठक आयोजित करने की प्रक्रिया, गणपूर्ति, मतदान के तरीके, बैठक हेतु नोटिस की अवधि तथा प्रतिनिधि द्वारा मतदान की पद्धति, जहां इस प्रकार मतदान की अनुमति है। जी.बी. का सदस्य होने के लिए अयोग्यता अगर वह सोसाइटी के मामले के गठन,	

	प.बं. सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 के अनुसार आवश्यकता	एम.ओ.ए. तथा विनियमों में पाई गई कमियां
	पदोन्नति, प्रबंधन या संचालन से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषी पाया गया हो।	
4.	सदस्यों की पंजी का संधारण तथा सदस्यों द्वारा उसके निरीक्षण की सुविधा	इस तरह का कोई प्रावधान विनियमों में सम्मिलित नहीं किया गया था
5.	सोसाइटी के लेखा का संधारण तथा लेखापरीक्षा	
6.	सोसाइटी के सदस्यों द्वारा लेखों तथा बैठक की कार्यवाही का निरीक्षण	
7.	सदस्यता के लिए नामांकन एवं सदस्यों का त्यागपत्र तथा निष्कासन	

अतः बी.आई. नये अधिनियम के प्रख्यापन से छह महीने की निर्धारित अवधि के भीतर विसंगतियों को ठीक करने में असफल रहा।

लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते समय, डी.एस.टी. ने कहा (मई 2016) कि इस मामले को नियमित करने के लिए सोसाइटी के कुलसचिव के समक्ष उठाया जाएगा।

2.3 शासन

2.3.1 शासी निकाय का अनाधिकृत गठन

प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद, नई दिल्ली (टी.आई.एफ़.ए.सी.) सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक सोसाइटी है। टी.आई.एफ़.ए.सी. के एम.ओ.यू. तथा नियमावली की मंजूरी 1988 के दौरान दी गई। ओएमए के पैरा 10 में उपबंध किया गया था कि पदाधिकारी सहित जी.बी. के सदस्यों का शुरआती नामांकन प्रधानमंत्री की मंजूरी से सचिव, डीएसटी द्वारा किया जाएगा। जी.बी. की सदस्यता की अवधि समान्यतः तीन वर्ष थी। तीन वर्ष की अवधि के भीतर जी.बी. के संघटन में परिवर्तन, अगर कोई हो, जी.बी. के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। इस अवधि के बाद के जी.बी. हेतु नामांकन प्रधानमंत्री की मंजूरी से सचिव, डी.एस.टी. द्वारा की जाएगी।

जी.बी. की सदस्यता की शर्त के अनुसार, 1988 से 2015 के बीच जी.बी. का नौ बार पुनर्गठन किया जाना चाहिए था। अभिलेखों से, हालांकि, पता चला कि 1988 से 2011 की अवधि के दौरान टी.आई.एफ़.ए.सी. के जी.बी. का चार बार पुनर्गठन किया गया जो कि 1992, 1997, 2005 तथा 2011 है। इनमें से सिर्फ 1997 में पुनर्गठित जी.बी. के

मामले में प्रधानमंत्री की मंजूरी को अभिलेखित किया गया था। यह देखने के लिए कोई अभिलेख नहीं था कि अन्य अवसरों पर जी.बी. के पुनर्गठन हेतु प्रधानमंत्री की मंजूरी प्राप्त की गई थी।

डी.एस.टी. ने एगजिट मीटिंग में (मई 2016) लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया।

2.4 निष्कर्ष

पाउडर मैटलर्जी और नये मैटिरियल के लिए इंटरनेशनल एडवांसड रिसर्च केन्द्र, हैदराबाद को मंत्रीमंडल की अनुमति के बिना बनाया था इसलिए इसका गठन अनियमित था। एक दूसरे में बोस संस्थान, कोलकाता जो कि शुरु में सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत था और बाद में राज्य सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 के अन्तर्गत आना था, ने राज्य एक्ट के आवश्यक प्रावधानों को नहीं अपनाया जिसके वजह से राज्य एक्ट के प्रावधानों की अनुपालना में विसंगतियां थी। इन स्वायत्त निकायों द्वारा आवश्यक कानूनी अनुपालना को जांचे बिना ही डी.एस.टी. ने इन स्वायत्त निकायों को, दिनचर्या तरीके से, अनुदान देना जारी रखा। आगे टी.आई.एफ.ए.सी. नई दिल्ली ने जी.बी. का गठन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना किया।

2.5 अनुशंसा

1. डी.एस.टी. इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पॉवर मेटलार्जी एण्ड न्यू मेटिरियल, हैदराबाद के एक स्वायत्त निकाय के रुप में स्थापना हेतु तथा इसकी निरंतरता को नियमित करने के लिए मंत्रिमण्डल से कार्योतर अनुमोदन प्राप्त करें तथा यह सुनिश्चित करे कि स्वायत्त निकायों के सृजन में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन हो रहा है।

2. डी.एस.टी. प्रत्येक स्वायत्त निकाय के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तथा विनियमों का निरीक्षण करें तथा उक्त के प्रावधानों में लागू केन्द्र/राज्य सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट से अनुरुपता को सुनिश्चित करे।

3 अध्याय

स्वायत्त निकायों की प्रशासकीय कार्यप्रणाली

3.1 प्रस्तावना

डी.एस.टी. के अंतर्गत स्वायत्त निकायों में पदों का सृजन, भर्ती, पदोन्नति, अधिवर्षिता, वेतन एवं भत्ते, अन्य हकदारी और किसी अन्य से संबंधित मामले जीएफ़आर, फंडामेंटल रूल्स व सप्लिमेंटरी रूल्स (एफ.आर.एस.आर.), वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमवाली (डी.एफ़.पी.आर.) तथा एम.ओ.एफ़. एवं डी.ओ.पी.टी. के आदेशों से विनियमित होते हैं।

डी.एफ़.पी.आर. के नियम 13(2) के अनुसार, केंद्र सरकार का कोई विभाग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इन नियमों द्वारा आच्छदित किसी भी मामले के संबंध में उसे विभाग में प्रशासक या विभागाध्यक्ष या किसी अन्य अधिनस्थ प्राधिकार के ऊपर निहित शक्तियों से अधिक नहीं, शक्तियां प्रदान करता है बशर्ते कि इस उप नियम के अंतर्गत (ए) पदों के सृजन, (बी) हानियों को बट्टे खाते में डालना; तथा (सी) या तो विनियोग के प्राथमिक इकाइयों या फिर उप शीर्ष हेतु मूल बजट प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, से ज्यादा की राशि का पुनर्विनियोग के संबंध में कोई शक्ति फिर से प्रत्यायोजित नहीं की जाएगी। एम.एस.टी. ने अपने नियंत्रणाधीन स्वायत्त निकायों को इन निर्देशों को दोहराया (जनवरी 1999) था।

चयनित स्वायत्त निकायों द्वारा इन निर्देशों के अनुपालन की हद पर टिप्पणियों की चर्चा इस अध्याय में की गई है।

3.2 नियमावली एवं बाई-लॉज में प्रतिबंधात्मक खंड को शामिल नहीं किया जाना

एम.ओ.एफ़. ने निर्देश जारी किया (अक्टूबर 1984) कि स्वायत्त निकायों, जो पूरी तरह या आंशिक रूप से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित किए जाते हैं, के नियमावली एवं बाई-लॉज में पदों के सृजन, अपने कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण और इसी प्रकार के स्थापन व्यय के मामलों में ऐसे संगठनों के जीबी की शक्तियों से संबंधित प्रतिबंधात्मक खंड को निरपवाद रूप से सम्मिलित करना चाहिए और विशिष्ट मामलों में केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी हेतु प्रावधान करना चाहिए। स्वायत्त निकायों के प्रासंगिक बाई-लॉज़/नियमावली/विनियमों में आगे एक खंड सम्मिलित किया जाना था

कि रोजगार ढांचा जो कि वेतनमान, भत्ते का अंगीकरण तथा उसका पुनरीक्षण एवं विनिर्दिष्ट वेतन स्तर से ऊपर के पदों के सृजन से संबंधित प्रस्तावों के लिए एम.ओ.एफ़. के परामर्श से जी.ओ.आई. की पूर्व मंजूरी जरूरी होगी।

एम.एस.टी. ने आगे विस्तार से बताया (जनवरी 1999) कि वैज्ञानिक विभाग ग्रुप बी,सी एवं डी पदों से संबंधित प्रचालन स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं परंतु ग्रुप ए पदों के मामलों में वे डी.ओ.पी.टी./एम.ओ.एफ़. दिशा-निर्देशों के अधीन हैं। उसने आगे, स्पष्ट किया कि स्वायत्त आर एंड डी संस्थानों के जी.बी./जी.सी., पदों के सृजन के मामले को छोड़कर, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा उपभोग की जाने वाली शक्तियों की सीमा तक शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं।

सोसाइटी के रूप में पंजीकृत 17 स्वायत्त निकायों की नियमावली व बाई-लॉज की लेखापरीक्षा जांच से पता चला की 16[2] स्वायत्त निकायों के बाई-लॉज/नियमावली/विनियमों में पदों के सृजन से संबंधित कोई प्रतिबंधात्मक खंड निहित नहीं थे। सिर्फ ए.आर.सी.आई. ने अपने बाई-लॉज में आवश्यक प्रतिबंधात्मक खंडों को शामिल किया था। हमने यह भी देखा की 17 जाँच किए गए स्वायत्त निकायों ने विनियमों/बाइलॉज/नियमावली में रोजगार संरचना से संबंधित आवश्यक संशोधन नहीं किए थे। इस प्रावधान की स्थिति **परिशिष्ट ।।।** में दी गई है। बाइलॉज/नियमावली/विनियमों में प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को शामिल ना करने के परिणामस्वरुप स्वायत्त निकाय में अनियमित पदों का सृजन और स्टाफ की पदोन्नती में छूट पाया गया जैसा कि आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है। डी.एस.टी. द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणी को माना गया (मई 2016)।

3.3 पदों का सृजन

3.3.1 पदों का अनियमित सृजन

2009-14 के दौरान, 11 संस्थानों (आई.ए.सी.एस.[3], बी.आई.[4], ए.आर.सी.आई.[5], आई.आई.ए.[6], एस.एन.बी.एन.सी.एस.[7], एन.ए.एस.आई[8], बी.एस.आई.पी.[9],

---

[2] आई.ए.सी.एस., बी.आई., ए.आर.आई., ए.आर.आई.ई.एस., बी.एस.आई.पी., सी.एन.एस.एम.एस., आई.आई.ए., आई.आई.जी., आई.एन.एस.ए., आई.ए.एस., जे.एन.सी.ए.एस.आर., एन.ए.एस.आई., आर.आर.आई., एस.एन.बी.एन.सी.बी.एस., टी.आई.एफ़.ए.सी. एवं डबल्यू.आई.एच.जी.

[3] इंडियन एसोसिएशन फॉर दी कल्टीवेशन ऑफ़ साइंस, कोलकाता

[4] बोस संस्थान, कोलकाता

[5] इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी, हैदराबाद

[6] इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ एस्ट्रोफिजिक्स, बेंगलुरु

[7] सत्येन्द्रनाथ बोस राष्ट्रीय आधार विज्ञान केंद्र, कोलकाता

[8] राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान-भारत, इलाहबाद

डब्ल्यू.आई.एच.जी.[10], आई.ए.एस.[11], जे.एन.सी.ए.एस.आर.[12] तथा टी.आई.एफ.ए.सी.[13]) के जीबी/जीसी द्वारा एमओएफ़/एमएसटी के निर्देशों का उल्लंघन कर 486 पद सृजित/अपग्रेड किए गए। सृजित 486 पदों का विवरण ***परिशिष्ट IV*** में विस्तार से दिया गया है। ए.बी. के जी.बी./जी.सी. द्वारा डी.एस.टी. और एम.ओ.एफ. के अनुमोदन के बिना पदों का सृजन अनियमित था।

ए.आर.सी.आई. में नियुक्तियों को यह कहते हुए (नवम्बर 2014) न्यायसंगत ठहराया कि गतिविधियां कई गुना बढी और वहां वैज्ञानिक स्टाफ का अकाल था। एस.एन.बी. एन.सी.बी.एस ने कहा (नवम्बर 2014) कि अलग से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मामले पर संबंधित जी.बी. मीटिंग में चर्चा हुई थी और जी.बी. चेयरमेन जो कि सचिव, डी.एस.टी. भी थे, से अनुमोदन लिया था। आई.आई.ए. ने कहा (जनवरी 2015) कि उनके पास विभिन्न श्रेणियों के तहत स्वाकृत पदों का ब्यौरा नही था। एन.ए.एस.आई ने (मार्च 2015) कहा कि पदों का उन्नयन परिषद द्वारा किया गया था।

दिए गए तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि स्वायत्त निकाय अपना खुद का पद सृजित करने के लिए सशक्त नहीं थे। डीएसटी ने (मई 2016) एक्सिट मीटिंग में बताया कि मामलो की पहचान की गई है और इस तरह के मामलों के लिए एक कमेटी गठित की गई है और आश्वासित किया कि संबंधित खंडो को बाइलॉज में शामिल किया जाएगा और जहॉ आवश्यकता होगी एम.ओ.एफ. का अनुमोदन लिया जाएगा।

3.4 भर्तियां

3.4.1 डी.ओ.पी.टी. के आदेशों से उपनियमों/नियमावली/विनियमों में व्यतिक्रम

डी.ओ.पी.टी. ने (2006) निर्देश जारी किए कि निदेशक या उससे उपर के स्तर पर नियुक्ति हेतु स्वायत्त निकायों (अलग से संसद के अधिनियम द्वारा अन्यथा गठित नहीं) को अनिवार्य रूप से खोज-सह-चयन समिति का गठन करना था, जिसकी संरचना को प्रत्येक मामले में डीओपीटी द्वारा मंजूर किया जाना आवश्यक था। स्वायत्त संस्थानों द्वारा चयन हेतु कसौटी व मानदंडों को अंतिम रूप संबंधित मंत्रालय की

[9] बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान, लखनऊ
[10] वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान, देहरादून
[11] भारतीय विज्ञान अकादमी, बेंगलुरु
[12] जवाहरलाल नेहरु उच्च वैज्ञानिक अनुसन्धान केंद्र, बेंगलुरु
[13] प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद्, नई दिल्ली

सहमति से दिया जा सकता था। निर्देशों में आगे कहा गया था कि मुख्य कार्यकारी के पद पर सभी नियुक्तियों तथा ₹ 18,400-22,400 के वेतनमान वाले सभी नियुक्तियों के लिए, एसीसी की मंजूरी आवश्यक थी।

तदनुसार, सभी स्वायत्त संस्थानों को सोसाइटी के रजिस्ट्रार की मंजूरी से अपने ज्ञापन एवं संस्था के अंतर्नियम, बाईलॉज इत्यादि में संशोधन करना आवश्यक था और इस संबंध में डी.ओ.पी.टी. द्वारा निर्धारित निर्देशों को सम्मिलित करना आवश्यक था।

हमने पाया कि -

i. तीन स्वायत्त निकायों (ए.आर.आई.ई.एस[14]., बी.एस.आई.पी., सी.एन.एस.एम.एस.[15]) ने अपने बाई-लॉज में खोज-सह-चयन समिति के संघटन से संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित नहीं किया।

ii. तीन स्वायत्त निकायों (आई.ए.सी.एस., आई.आई.ए., ए.आर.सी.आई.) में, उपनियमों में खोज-सह-चयन समिति का संघटन और भूमिका या ए.सी.सी. के प्राधिकार का विशेष उल्लेख नहीं था। भर्ती नियमावली एवं प्रक्रियाओं से संबंधित भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन करने का इस आशय का सामान्य प्रतिबंध था।

iii. 11 स्वायत्त निकाय (जे.एन.सी.ए.एस.आर., एस.एन.बी.एन.सी.बी.एस., बी.आई., आर.आर.आई.[16], एन.ए.एस.आई., आई.ए.एस., आई.एन.एस.ए.[17], टी.आई.एफ़.ए.सी., डबल्यू.आई.एच.जी., आई.आई.जी.[18] एवं ए.आर.आई.) ने खोज सह चयन समिति के सृजन तथा संघटन की पद्धति से संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित नहीं किया था।

उपनियमों/नियमों/विनियमों में व्यतिक्रम का विवरण ***परिशिष्ट V*** में दिया गया है।

---

14 आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूच ऑफ आबसर्वेश्नल साईसेस, नैनीताल

15 सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइन्स, बंगलुरू

16 रमण अनुसंधान संस्थान, बंगलुरू

17 भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अदाकामी, नई दिल्ली

18 भारतीय भू-चुम्बकत्व संस्थान, मुंबई

इस प्रकार, 17 स्वायत्त निकायों में से किसी ने भी डी.ओ.पी.टी. के निर्देशों का पूरी तरह अनुपालन नहीं किया। इससे इन पदों पर अनियमित नियुक्तियां हुई जैसा कि आगे के पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

डी.एस.टी. मई 2016 ने मामले को देखने की सहमति देते हुए कहा कि प्रावधानों का सूत्रीकरण ऐसा होना चाहिए जिससे उपनियमों/नियमावली/विनियमों में बार-बार बदलाव नही करना पड़े।

उत्तर डी.ओ.पी.टी. के (जुलाई 2007) निर्देश के संदर्भ में देखा जाता है, जिसके अनुसार सभी स्वायत्त संस्थानों को उनके एम.ओ.ए. ओर बाई लॉज में डी.ओ.पी.टी. के निर्देशों को पूरी तरह से शामिल करने की आवश्यकता है।

3.4.1.1 मुख्य कार्यकारी की अनियमित नियुक्ति

जनवरी 2009 से आगरकर अनुसंधान संस्थान पुणे (ए.आर.आ.ई.), में नियमित निदेशक नहीं था। रिक्त पद को एम.एस.टी./डी.ओ.पी.टी. की मंजूरी से जनवरी 2009 के प्रभाव से 31 दिसंबर 2009 तक शुरुवात में एक वर्ष की अवधि के लिए स्थानापन्न निदेशक की नियुक्ति कर भरा गया (अगस्त 2009) था और बाद में 30 जून 2010 तक बढा दिया गया। इसके बाद, ए.आर.आई. ने स्थानापन्न निदेशक के रुप में दो व्यक्तियों को क्रमशः 1 जुलाई 2010 से 30 अप्रैल 2013 तक तथा 1 मई 2013 से 31 जनवरी 2015 तक संस्थान के जी.सी. की मंजूरी से शुरुवात में तीन महीने के लिए नियुक्त किया था।

हमने पाया कि स्थानापन्न निदेशक की नियुक्ति के लिए न तो खोज-सह-चयन समिति गठित की गई थी और न तो एसीसी की मंजूरी प्राप्त की गई थी, जो अनियमित था क्योंकि निदेशक का पद मुख्य कार्यकारी के पद के समकक्ष है। इसके अलावा, ए.सी.सी. की मंजूरी के बिना जी.सी. द्वारा छह माह से अधिक का विस्तार देना भी अनियमित था।

ए.आर.आ.ई. ने कहा (2015 जनवरी)कि उसके उपनियम के अनुसार, निदेशक पद के लिए नियुक्ति प्राधिकार जी.सी. का था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बाईलॉज का प्रावधान सरकारी निर्देशों का उल्लंघन था।

3.4.1.2 चयन समिति का अनियमित गठन

इंटरनेशनल एडवांस्ड सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटिरियल्स, हैदराबाद (ए.आर.सी.आई.) ने (ए.आर.सी.आई.) ₹ 18,400-22,400 के स्केल में दो वरिष्ठ वैज्ञानिकों की नियुक्ति क्रमशः फरवरी 2006 एवं अक्टूबर 2010 में किया। हमने पाया

कि दोनों मामलो में परिषद/निदेशक द्वारा भर्ती समिति का गठन इसकी संरचन हेतु डी.ओ.पी.टी. की मंजूरी प्राप्त किए बगैर किया गया था, जो अनियमित था। ए.आर.सी.आई. ने भर्ती से लेकर मार्च 2015 तक की अवधि के लिए अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते पर ₹ 73 लाख का व्यय किया।

ए.आर.सी.आई. ने कहा (फरवरी 2015) कि अधिकारियों की भर्ती संस्थान के नियमावली/विनियमों के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ए.आर.सी.आई. की नियमावली व विनियम डी.ओ.पी.टी. के निर्देशों के उल्लंघन में थें।

3.4.1.3 वेतनमान का अनियमित उन्नयन

इंडियन नैशनल साईंस अकादमी, नई दिल्ली (आईएनएसए) ने ₹ 5,100-6,300 के वेतनमान (पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशें लागू होने के बाद क्रमशः 1996 से ₹ 16,400-20,000 में पुनरीक्षित) में कार्यकारी सचिव (ई.एस.) के पद पर एक व्यक्ति की नियुक्ति (मई 1991) की। संसाधन प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.) की अनुशंसाओं के आधार पर ई.एस. के वेतनमान को ₹ 18,400-22,400 में उन्नयन करने हेतु प्रस्तावित किया (अगस्त 1998) गया जिसे डी.एस.टी. द्वारा दिसंबर 2000 में पूर्वव्यापी मंजूरी दी गई।

पद का उन्नयन पद के सृजन के समान है और ग्रुप ए पद का सृजन सिर्फ एम.ओ.एफ़. के अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा, ₹ 18,400-22,400 के वेतनमान वाले पद की नियुक्ति सिर्फ ए.सी.सी. की मंजूरी से ही की जा सकती थी। अधिकारी का कार्यकाल (जुलाई 2006 से जून 2008) दो साल के लिए और बढा दिया गया। हालांकि, ए.आर.सी.आई. ने पद को अपग्रेड करने हेतु एम.ओ.एफ़. और ए.सी.सी. की मंजूरी प्राप्त नहीं की, जो अनियमित था।

इस प्रकार ₹ 18,400-22,400 के वेतनमान में कार्यकारी सचिव के पद का उन्नयन डी.ओ.पी.टी. के निर्देशों का उल्लंघन था।.

3.4.2 भर्ती नियमावली तैयार करने एवं लागू करने में कमियाँ

डी.ओ.पी.टी. के निदेशानुसार (दिसम्बर 2010), ज्योंहि किसी नए पद/सेवा का सृजन करने या किसी पद को अपग्रेड करने अथवा किसी सेवा का पुनर्निर्माण करने का निर्णय लिया जाता है, त्योंहि प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा भर्ती नियमावली/सेवा नियमावली तैयार करने हेतु तत्काल कदम उठाये जाने चाहिए। उन सभी पदों, जिनके

एक वर्ष या उससे अधिक तक कायम रहने की संभावना है, के लिए भर्ती नियमावली तैयार की जानी चाहिए।

हमने पाया कि

i. बोस इंस्टीट्यूट, कोलकाता (बीआई) ने अक्टूबर 1980 में डी.एस.टी. की मंजूरी प्राप्त किए बगैर अपनी भर्ती नियमावली प्रस्तुत की, जिसमें संस्थान के सभी वर्गों के कर्मचारियों के भर्ती की पद्धति तैयार की गई थी। फिर भी, संस्थान द्वारा भर्ती नियमावली हेतु डीएसटी की मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी।

ii. इसी प्रकार, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बैंगलुरु (आई.आई.ए.) ने 'भर्ती हेतु नियम एवं दिशा निर्देश' तैयार किया (अक्टूबर 2000) जिन्हें जी.सी. द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी, फिर भी, डी.एस.टी. तथा एम.ओ.एफ़. का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

iii. इंडियन एसोसीएशन फॉर दी कलटीवेशन ऑफ साईंस, कोलकाता (आई.ए.सी.एस.) 1876 में स्थापित किया गया था। 21 दिसम्बर, 2005 तक, आई.ए.एस.एफ़. के पास इसके ग्रुप ए, बी, सी तथा डी पदों के संबंध में कोई भर्ती नियमावली नहीं थी। आईएसीएफ़ के जीसी ने इसके द्वारा बनाए गए संरचनात्मक सुधार समिति के प्रतिवेदन को स्वीकृति (दिसम्बर 2005) प्रदान की, जिसमें आई.ए.सी.एस. के अकादमिक, प्रशासनिक तथा तकनीकि कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना एवं करियर एडवांसमेंट स्कीम की सिफ़ारिश की गई थी। समिति की सिफ़ारिशें डी.एस.टी. को अनुमोदन हेतु भेजी गई थी। डी.एस.टी. ने आई.ए.सी.एस. को सूचित किया (जून 2006) कि निदेशक एवं वर्ग 'ए' प्रशासनिक कर्मचारी[19] के पदों के लिए वेतन संरचना एम.ओ.एफ़. द्वारा मंजूर की जानी थी। तथापि, डी.एस.टी. ने आई.ए.एस.सी. के जी.सी. द्वारा भर्ती नियमावली को अंतिम रूप दिये जाने के विषयाधीन अन्य कर्मचारियों के वेतनमानों के लिए सिफ़ारिशों को मंजूरी प्रदान की। इसके बाद, आई.ए.सी.एस. की भर्ती नियमावली को स्पेशल जेनरल बॉडी की बैठक में अंतिम रूप दिया गया तथा स्वीकृति प्रदान की गई।

---

[19] सहायक कुलसचिव के लिए ₹ 8,000-13,500; वरिष्ठ सहायक कुलसचिव के लिए ₹ 10,500-15,200; उप कुलसचिव के लिए ₹ 12,000-16,500 वरिष्ठ उप-कुलसचिव के लिए ₹ 14,000-18,300 तथा कुलसचिव के लिए ₹ 16,400-20,000.

हमने पाया कि आई.ए.सी.एस. के भर्ती नियमावली को स्पेशल जेनरल बॉडी की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई थी और जी.सी. द्वारा नहीं जैसा कि डी.एस.टी. द्वारा निदेश दिया गया था। उक्त स्पेशल जेनरल बॉडी की बैठक में, जी.सी. के कुल बारह सदस्यों के संघटन में से आई.ए.सी.एस. से केवल चार आंतरिक सदस्य ही उपस्थित थे और सभी वाह्य आठ सदस्य अनुपस्थित थें। अतः भर्ती नियमावली की मंजूरी अनियमित थी।

हमने आगे यह भी पाया कि यद्यपि डी.एस.टी. ने बताया कि ग्रुप 'ए' प्रशासनिक पदों के वेतनमानो (स्केलों) के कार्यान्वयन हेतु एम.ओ.एफ़. की मंजूरी जरूरी थी जैसा कि संरचनात्मक सुधार समिति द्वारा सिफ़ारिश की गई थी तथापि आई.ए.सी.एस. ने इन स्केलों को कार्यान्वित किया और उसे इसके भर्ती नियमावली में सम्मिलित कर दिया, बिना एम.ओ.एफ. की मंजूरी के जो कि अनियमित था।

आई.ए.सी.एस. ने कहा (जनवरी 2015) कि भर्ती नियमावली उनके उपनियम का एक हिस्सा था जिसे दिसम्बर 2006 में जी.सी. द्वारा स्वीकृति प्रदान कि गई थी। फिर भी; हमने पाया कि भर्ती नियमावली को जी.सी. द्वारा अंतिम स्वीकृति नहीं दी गई थी। वस्तुतः, जी.सी. के उक्त बैठक के कार्यवृत में भर्ती नियमावली अथवा उपनियम की चर्चा का कोई अभिलेख नहीं है।

3.4.3 भर्ती नियमावली में व्यतिक्रम

जी.एफ़.आर. का नियम 209 (6)(iv)(a) कहता है कि सभी अनुदेयी संस्थान अथवा संगठन जो अपने आवर्ती व्यय का पचास प्रतिशत से ज्यादा सहायता अनुदान पाते हैं उन्हे आमतौर पर अपने कर्मचारियों की सेवाओं के शर्ते और निबंधन प्रतिपादित करने चाहिए जो समान्यत: केंद्र सरकार के समान वर्ग के कर्मचारियों पर लागू सेवाओं की शर्तें एवं निबंधन से ज्यादा नहीं हो। अपवाद स्वरूप मामलों में एमओएफ़ के साथ विचार-विमर्श के बाद छूट दी जा सकती थी।

चयनित स्वायत्त निकायों के अभिलेखों की जांच में पता चला कि भर्ती नियमावली एक स्वायत्त निकाय यानि आर.आर.आई. द्वारा नहीं तैयार किये गये थें। इसके अलावा, 13 स्वायत्त निकायों (सी.एन.एस.एम.एस., डब्ल्यू.आई.एच.जी., जे.एन.सी.ए.एस.आर., ए.आर.आई.ई.एस., आई.ए.सी.एस., एस.एन.,बी.एन.सी.बी.एस., बी.आई., एन.ए. एस.आई., बी.एस.आई.पी., आई.आई.ए., ए.आर.सी.आई., आई.ए.एस. तथा आई.आई.जी) द्वारा डी.ओ.पी.टी. के निर्देशों के साथ-साथ एफ़एफ़आर के प्रावधानों के अनुरूप बनाए गए भर्ती नियमावली में व्यतिक्रम था, जिसने इन स्वायत्त निकायों

में नियुक्त किए व्यक्तियों को उच्चतर लाभ प्रदान किया। भर्ती नियमावली में किए गए व्यतिक्रम का विवरण ***परिशिष्ट VI*** में दिया गया है।

हमने पाया कि सरकार द्वारा स्वीकृत भर्ती नियमावली से व्यतिक्रम के लिए उपर्युक्त मामलों में से किसी के संबंध में एम.ओ.एफ़. की नही ली गई थी।

डी.एस.टी. ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया एवं कहा (मई 2016) कि स्वायत्त निकायों के बाई-लॉज में एक बार संशोधन हो जाने पर, भर्ती नियमावली को तदनुसार नियमित किया जाएगा।

अनियमित नियुक्तियों तथा उच्चतर लाभों के अनुदान के विशिष्ट मामलों की लेखापरीक्षा में जांच की गई तथा निम्नलिखित पैराओं में उसकी चर्चा की गई।

3.4.4 भर्ती प्रक्रिया में कमियाँ

(ए) डी.ओ.पी.टी. के निर्देशों (दिसम्बर 2010) के अनुसार, भर्ती नियमावली को प्रत्येक पदों के लिए चयन मानदंड, शैक्षिक योग्यता की आवश्यकताएँ, अनुभव तथा आरक्षण तालिका, आयु-सीमा, चयन समिति का संघटन, चयन-पद्धति, भर्ती के विविध चरणों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों का विवरण, इत्यादि अनुबंधित करना था।

हमलोगों ने पाया कि आई.ए.एस. बैंगलुरु सभी पदों के लिए भर्ती को डीओपीटी द्वारा निर्धारित नियमों को अपनाए बगैर संचालित कर रहा था। यद्यपि आईएएस ने 2013 में 'भारतीय विज्ञान अकादमी के प्रशासन तथा प्रबंधन के लिए नियमों' में संशोधन किया, तथापि डीओपीटी के निर्देशों में यथा परिकल्पित नियम एवं चयन मानदंड शामिल नहीं किए गए थें। निर्धारित मानदंड के अभाव को ध्यान में रखते हुए, भर्ती की प्रक्रिया में कमियां पाई गई जिसका विवरण ***परिशिष्ट VII*** में दिया गया है। कार्मिकों की भर्ती में कुछ प्रमुख अनवरत कमियां नीचे दी गयी हैं:

आवेदनों की जाँच:

i. आईएएस ने किसी भी पद के लिए प्राप्त आवेदनों की जाँच के लिए कोई समिति गठित नहीं की थी। यहाँ तक की उस कागज, जिसमें संक्षिप्त सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के नाम उल्लिखित थें पर उस अधिकारी, जिसने आवेदनों की जाँच की थी; का हस्ताक्षर भी मौजूद नहीं था।
ii. आवेदनों की जाँच करते समय अपात्र अभ्यर्थियों को भी साक्षात्कार के लिए संक्षिप्त सूचीबद्ध एवं अंतत: चयनित कर लिया गया था।

iii. हमने आगे पाया कि जाँच प्रक्रिया में कोई एकरूपता नहीं थी। अधिकांश मामलों में प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा ऐसे आवेदनों का विवरण यथा अभ्यर्थी का नाम, आवेदन प्राप्ति की तिथि, इत्यादि से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं थी।

iv. संक्षिप्त सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी भी प्राप्त नहीं की गई थी।

v. इसके अलावा, एक मामले को छोड़कर आवेदनों की जाँच के लिए अपनाए गए मानदंड तथा उस आधार जिस पर व्यक्तिगत मामलों में आवेदनों को अस्वीकार किया गया था, का उल्लिखित नहीं किया गया था।

इस तरह, जाँच पारदर्शी तरीके से नहीं की गई थी। अनुवर्ती पैराग्राफों में इन मामलों की चर्चा की गई है।

चयन प्रक्रिया:

i. अकादमी की चयन समिति द्वारा चयन के लिए अनुसरण किए जाने वाले मानदंडों को परिभाषित किया जाना था फिर भी, समिति ने अभ्यर्थियों के चयन के लिए अपनाए जाने वाले मानदंडों का उल्लेख नहीं किया था। अतः उस आधार को पत्रबद्ध एवं सत्यापित नहीं कर सके जिस पर समिति ने अभ्यर्थियों का चयन अथवा उसे खारिज किया था।

ii. अकादमी ने उन अभ्यर्थियों, जो साक्षात्कार में उपस्थित थें; के लिए कोई उपस्थिति शीट संघारित नहीं किया गया था। चयन समिति के कार्यवृत के अनुसार, संक्षिप्त सूचीबद्ध अभ्यर्थी साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हुए थें। उपस्थिति शीट के संघारन के अभाव में हम यह सुनिश्चित नहीं कर सके कि अभ्यर्थी वास्तव में साक्षात्कार में उपस्थित हुए थें या नहीं।

योग्यता:

हमने पाया कि निम्न पदों के कुछ मामलों में उच्च पदों के लिए निर्धारित योग्यताओं से ज्यादा उच्च योग्यता निर्धारित की गई थी। अकादमी के ईएस पद के लिए निर्धारित योग्यता स्नातक थी; (2008) जबकि कार्यकारी संपादक जो निम्न स्तर का पद था, के लिए निर्धारित योग्यता स्नातकोत्तर थी। उसी प्रकार, लेखा सहायक (2013-14 में) के पद के लिए निर्धारित अनिवार्य योग्यता स्नातक/स्नाकोत्तर सहित पाँच वर्षों का अनुभव था, जबकि 2010-11 में लेखा अधिकारी के पद के लिए निर्धारित योग्यता केवल स्नातक थी।

(बी) आईआईए में 11 अस्थायी कर्मचारियों तथा नियमित कर्मचारियों की सोलह भर्ती संचिकाओं की लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि संस्थान द्वारा इसके नियमित कर्मचारियों की भर्ती के लिए अनुसरण की गई भर्ती प्रक्रिया में केंद्र सरकार में भर्तियों के लिए निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

i. डी.ओ.पी.टी. के निर्देशों का उल्लंघन कर भर्तियां खुले विज्ञापन के बिना की गई थी।

ii. अभ्यर्थी का चयन अनिवार्य आवश्यक अनुभव के बगैर किया गया था।

iii. निदेशक की नियुक्ति खोज-सह-चयन समिति के गठन के बिना की गई थी।

iv. कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति के लिए एसीसी की मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी।

पाई गई अनियमितताओं का विवरण ***परिशिष्ट VIII*** में दिया गया है।

3.4.5 भर्ती नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई भर्तियां

(ए) बीआई की भर्ती नियमावली के अनुसार उप-कुलसचिव के पद के लिए विज्ञापन जारी कर सीधी भर्ती की जानी थी लेखापरीक्षा में देखा गया कि बीआई ने सितम्बर 2006 में कोई विज्ञापन जारी किए बिना उस पद के लिए एक उप कुल सचिव की भर्ती की, जो कि अनियमित था। बीआई ने जुलाई 2015 में कहा कि उक्त पद के लिए विज्ञापन समय और धन बचाने के लिए प्रकाशित नहीं किया गया था जो अस्वीकार्य था क्योकि यह उनकी भर्ती नियमावली के अनुरुप नही था।

(बी) आई.ए.सी.एस. ने वर्ष 2009-14 के दौरान 17 सहायक प्राध्यापकों, चार तकनीकी सहायकों तथा तीन प्रशासनिक कर्मचारियों की भर्ती की। हमने 10 मामलों (छह सहायक प्रोफेसर, दो तकनीकी कर्मचारियों तथा दो प्रशासनिक कर्मचारियों) की जाँच की तथा पाया कि भर्ती किए गए छह में से पाँच सहायक प्रोफेसर को दो वेतनवृद्धि के समकक्ष एक निर्धारित भत्ते की अनुमति दी गई थी, जिसकी आईएसीएस की भर्ती नियमावली में परिकल्पना नहीं की गई थी। इसका परिणाम प्रत्येक सहायक प्रोफेसर के लिए ₹ 1,780 का अतिरिक्त आवर्ती मासिक व्यय था। आईएसीएस ने बताया (जनवरी 2015) कि चयन समिति ने सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए शुरुआती भर्ती के दौरान दो अतिरिक्त वेतनवृद्धि की सिफ़ारिश की, जिसे जीसी द्वारा मंजूर कर लिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस तरह की वित्तीय सुविधा

जीसी के प्राधिकार के अधीन नहीं था एवं उसे एम.ओ.एफ़. द्वारा मंजूर किया जाना आवश्यक था।

3.4.6 भर्तियों से संबंधित प्रावधानों का अनियमित अंगीकरण

श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम (एससीटीआईएमएसटी) 31 मार्च 2006 यूजीसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों से भारत में राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालय तथा संस्थान समझे जाने वाले विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों की सूची में शामिल था। इस प्रकार, एससीटीआईएमएसटी को समय-समय पर यूजीसी द्वारा अधिसूचित वेतन संरचनाओं का अनुपालन करना था।

छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन का अनुसरण करते हुए एमएचएफ़डबल्यू के अधीन चिकित्सा शिक्षा स्वायत्त संस्थानों के शिक्षकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण से अवगत कराते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमएचएफ़डबल्यू) ने निर्देश (जनवरी 2010) जारी किया। एससीटीआईएमएसटी के जीबी ने, उसी महीने में, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस), एमएचएफ़डबल्यू के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त निकाय, के बराबर इसके अपने शिक्षकों के लिए संशोधित वेतन संरचना को मंज़ूरी प्रदान की। इसके पूर्व, एससीटीआईएमएसटी ने अपने जी.बी. द्वारा यथा अनुमोदित केंद्र सरकार की वेतन संरचना को अंगीकार किया था। जी.बी. के द्वारा अकादमिक कर्मचारियों के लिए बनाए गए वेतन संरचना यूजीसी वेतन संरचना के अनुरूप नहीं था, जैसा कि तालिका 2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2: ए.आई.आई.एम.एस. वेतन संरचना तथा केंद्र सरकार (एम.एस.टी.) द्वारा मंज़ूर वेतन संरचना के बीच तुलना

पदनाम	**वेतन मान**	**2010 के पहले जी.बी. द्वारा मंज़ूर वेतन संरचना**	**एससीटीआईएमएसटी द्वारा स्वीकृति वेतन संरचना**
		एमएसटी द्वारा मंज़ूर वेतन संरचना के अनुसार ग्रेड पे	**निकास किया गया अकादमिक ग्रेड पे**
वैज्ञानिक डी/ इंजीनियर डी	15,600-39,100	7,600	8,000
वैज्ञानिक ई/ इंजीनियर ई	37,400-67,000	8,700	9,000
वैज्ञानिक एफ़/ इंजीनियर एफ़	37,400-67,000	8,900	9,500
वैज्ञानिक जी/ इंजीनियर जी	37,400-67,000	10,000	10,500
सहायक प्रोफ़ेसर	15,600-39,100	6,600	8,000
एसोसिएट प्रोफ़ेसर	37,400-67,000	8,700	9,000
एडिशनल प्रोफ़ेसर	37,400-67,000	8,900	9,500
प्रोफ़ेसर	37,400-67,000	10,000	10,500

एससीटीआईएमएसटी द्वारा अनियमित वेतन संरचना के अंगीकरण के परिणामस्वरूप जीपी तथा बेसिक में अतिरिक्त व्यय हुआ।

22 चिकित्सा कर्मचारियों/वैज्ञानिकों की 2009-14 की अवधि के दौरान सहायक प्रोफ़ेसर, एडिशनल/एसोसिएट प्रोफ़ेसर/प्रोफ़ेसर/वैज्ञानिक-डी के रूप में सीधी भरती के आधार पर नियुक्ति दी गयी थी, जिनका प्रारंभिक वेतन उच्चतर जीपी तथा बढे हुए वेतन पर निर्धारित किया गया था. परिणामस्वरूप, मार्च 2014 तक ₹ 2.67 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ था।

डी.एस.टी. ने (मई 2016) में मामले को देखने की सहमति दी।

3.4.7 प्रारंभिक भर्ती पर अग्रिम वेतन वृद्धि

(ए) एफ.आर.-27 के प्रावधानों के अनुसार कोई प्राधिकारी वेतन के समय-मान पर असामयिक वेतन वृद्धि दे सकता है यदि उसे वेतन के समान स्तर पर उसी संवर्ग में पद सृजन करने की शक्ति है। स्वायत्त निकायों को शक्तियां प्रतिनिधित्व करने पर

डी.एस.टी. निर्देशों (जनवरी 1999) ने विनिर्दष्टि किया कि स्वायत्त निकायों के प्रमुखों को पद सृजित करने की शक्ति नहीं है, अतः स्वायत्त निकायों को असामयिक वेतन वृदधि देने की शक्ति नहीं है।

हमने देखा कि तीन स्वायत्त निकायों अर्थात आई.ए.एस., बी.आई. और बी.एस.आई.पी. के सात कर्मचारियों को डी.एस.टी. तथा एम.ओ.एफ. की मंजूरी के बिना सेवा पर आने के समय एक से 16 अग्रिम वृदधि दी गयी थी, यह अनियमित था क्योंकि किसी भी स्वायत्त निकाय के पास पद सृजित करने और इस प्रकार अग्रिम वेतन वृद्धि देने की शक्ति नहीं थी।

(बी) जे.एन.सी.ए.एस.आर. को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.) ने मान्य विश्वविद्यालय घोषित किया (अगस्त 2002) इस शर्त के साथ कि केंद्र यू.जी.सी. द्वारा जारी मान्य विश्वविद्यालय को लागू दिशानिर्देशों/निर्देशों का पालन करेगा। एम.एच.आर.डी. के निर्देशों (दिसंबर 2008) के अनुसार, यू.जी.सी. के अंतर्गत विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में प्राध्यापक और समकक्ष पदों के भिन्न श्रेणियों के वेतन संरचना तीन श्रेणियों में होगी अर्थात सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर और प्रोफेसर। इस प्रकार, सहायक प्रोफेसर हेतु ₹ 15,600-39, 100 वेतन बैंड में ₹ 6,000 अकादमिक ग्रेड वेतन (ए.जी.पी.) के साथ, सह प्रोफेसर हेतु ₹ 37,400-67,000 वेतन बैंड में ₹ 9,000 ए.जी.पी. के साथ और प्रोफेसर हेतु ₹ 37,400-67,000 वेतन बैंड में ₹ 10,000 ए.जी.पी. तथा ₹ 43,000 न्यूनतम वेतन के साथ सीधी भर्ती की जा सकती थी, आगे, पी.एच.डी. डिग्री धारक सहायक प्रोफेसर को भर्ती की शुरुआत में पाँच अ-मिश्रित अग्रिम वेतन वृदधि स्वीकार्य थे। डी.एस.टी. ने केंद्र को यू.जी.सी. विनियम 2010 पालन करने का निर्देश दिया (अगस्त 2014)।

जे.एन.सी.ए.एस.आर. ने जून 2009 और जुलाई 2013 में सात कार्मिक भर्ती किये जिनमें से हमने उन पाँच मामलों की जांच की जिनके पास प्रारंभिक नियुक्ति के समय पी.एच.डी. डिग्री थी। हमने देखा कि हालाँकि ये कार्मिक केवल पाँच अग्रिम वेतन वृदधि के हकदार थे, इन्हे जे.एन.सी.ए.एस.आर. द्वारा आठ अग्रिम वेतन वृद्धि दी गयी थी जो कि यू.जी.सी. दिशा निर्देशों का उल्लंघन था। परिणामस्वरुप, प्रारंभिक अवस्था में वेतन के अधि निर्धारण के कारण, जे.एन.सी.ए.एस.आर. ने मार्च 2015 तक ₹ 61 लाख का अतिरिक्त व्यय किया।

3.5 कर्मचारियों की पदोन्नति

3.5.1 अकादमिक संवर्ग में पदोन्नति नीति का अनियमित अंगीकरण

डी.एस.टी. यूजीसी के पैकेजों को भत्ते तथा स्वायत्त निकायों के अकादमिक कर्मचारियों को सेवा की अन्य सभी शर्तों तथा निबंधनों को बढ़ाने के लिए जीओआई की मंजूरी से अवगत कराया (फरवरी 1989) और यह भी निर्देश दिया कि यूजीसी पेकैजों द्वारा आच्छादित अपने स्वायत्त निकायों को वैज्ञानिक कर्मचारियों पर लागू फ्लेक्सिबल कॉम्पलीमेंटिंग स्कीम[20] (एफ़सीएस) का अनुसरण नहीं करना चाहिए। हमलोगों ने दो स्वायत्त निकायों में इन निर्देशों का व्यतिक्रम पाया जिसका विवरण निम्नलिखित है:

i. इंडियन एसोसिएशन फॉर द कलटिवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता ने एक विशेष आम सभा (दिसम्बर 1989) का आयोजन किया और संकल्प द्वारा डी.एस.टी. के उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अपने अकादमिक कर्मचारियों के लिए एक अलग पदोन्नति संबंधी नियम को अंगीकार किया। बाद में, आईएसीएस के जीसी ने अपने अकादमिक तथा गैर-अकादमिक कर्मचारियों के लिए वेतनमान, पदोन्नति के अवसरों तथा अन्य शोध लाभों को शुरू करने के लिए डी.एस.टी. की मंजूरी के साथ एक संरचनात्मक सुधार समिति (एस.आर.सी.) का गठन (अक्टूबर 2004) किया। डी.एस.टी. ने अप्रैल 2006 में एस.आर.सी. की सिफ़ारिश पर सहमति जताई तथा मंजूरी प्रदान की।

   लेखापरीक्षा जाँच में यूजीसी संरचनाओं के साथ तुलना में वेतनमानों, आईएसीएस के अकादमिक कर्मचारियों को दिए गए पदोन्नति के अवसरों की में विसंगतियां पाई गई। यह देखा गया कि आईएसीएस के अकादमिक कर्मचारी ने यूजीसी के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों से ज्यादा वेतनमानों/कम से कम रेजीडेंसी अवधि का उपभोग किया था। रेजीडेंसी अवधि में व्यतिक्रम का विवरण ***परिशिष्ट IX*** में दिया गया है।

---

[20] डी.एस.टी. ने मई 1986 में फ्लेक्सिबल कॉम्पलीमेंटिंग स्कीम शुरू किया। बाद में डी.एस.टी. ने 1998 के बाद से डी.एस.टी. के आदेश (1986) के अधिक्रमण में निर्देश जारी किए जिसमें एक ग्रेड से दूसरे में वैज्ञानिक कर्मचारी की पदोन्नत्ति से संबंधित करियर उन्नति हेतु न्यूनतम रेजीडेंसी अवधि का उल्लेख था।

डीओपीटी/एमओएफ़ के मंजूरी के बिना वर्ग 'ए' पद के संबंध में उच्चतर संरचना का सृजन एमओएफ़ 1994[21] साथ ही साथ 1999[22] के जारी एमएसटी के निर्देशों के अनुपालन के विरूद्ध था। इसके अलावा, डीएसटी ने एसआरसी के सिफ़ारिशों को मंज़ूरी प्रदान की, जो डीओपीटी/एमओएफ़ के साथ विचार-विमर्श किए बिना, उक्त निर्देशों के अनुरूप नहीं थें।

ii. जवाहरलाल नेहरु सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बैंगलुरु (जेएनसीएएसआर) को एमएचआरडी द्वारा इस शर्त, कि केंद्र यूजीसी द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/निर्देशों जैसा कि डीम्ड विश्वविद्यालय पर लागू हो, का पालन करेगा, के अधीन डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित (अगस्त 2002) किया गया। हमने पाया कि जेएनसीएएसआर ने 2002 से भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरू (एमएचआरडी के अधीन एक स्वायत्त निकाय) में वेतन संरचना के अनुसार उच्च वेतनमानों का अंगीकार किया, जो यूजीसी वेतन पैकेजों के अनुरूप नहीं थें। वेतनमानों के लिए डीएसटी तथा डीओपीटी/एमओएफ़ के मंजूरी प्राप्त नहीं की गई

वर्ष 2009-14 के दौरान, 19 अकादमिक कर्मचारियों की पदोन्नति की गई थी तथा यादृच्छिक तरीके से चयनित 9 मामलों में पाया कि उच्च वेतनमानों को अपनाने के कारण, जेएनसीएएसआर ने वेतन तथा भत्तों की और ₹ 3.15 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

जेएनसीएएसआर ने कहा (दिसम्बर 2014) कि यह अभी तक समुचित प्राधिकारी द्वारा मंजूर किए जाने वाले पदोन्नति संबंधी नीति के दिशा-निर्देशों के तैयार किए जाने की प्रक्रिया में जारी था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीम्ड विश्वविद्यालय पर लागू यूजीसी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने के लिए एमएचआरडी/डीएसटी के निर्देश पहले से ही मौजूद थें।

3.5.2 अकादमिक कर्मचारियों की अनियमित पदोन्नति

रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बैंगलुरु (आरआरआई) ने केंद्र सरकार वेतनमानों को इसके वैज्ञानिक कर्मचारियों के लिए अपनाया था। सात वैज्ञानिक कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका की जाँच में केंद्र व्यतिक्रम पाया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

---

[21] स्वायत्त निकायों में ग्रुप 'ए' के समकक्ष संबंधित एफ़ए के माध्यम से सचिव (व्यय), एमओएफ़ की मंज़ूरी से सृजित किए जा सकते हैं।

[22] वैज्ञानिक विभाग ग्रुप 'बी', 'सी' एवं 'डी' पदों के संबंध में प्रचालन स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं जबकि ग्रुप 'ए' पदों के मामले में वे डीओपीटी/एमओएफ़ के दिशानिर्देशों के विषयाधीन हैं।

i. वैज्ञानिकों को प्रारंभिक नियुक्ति/पदोन्नति के समय 'वैज्ञानिक' के बदले 'एसोसिएट प्रोफेसर' के पद दिए गए थें। एसोसिएट प्रोफेसर का पद केवल यूजीसी वेतनमानों में लागू था, जो आर.आर.आई. द्वारा अंगीकृत तथा लागू नहीं थें।

ii. तीन वैज्ञानिकों को ₹ 10,000-325-15,200 के पूर्व-संशोधित वेतनमान में नियुक्त किया गया था। हमलोगों ने पाया कि उन वैज्ञानिकों को प्रारंभिक नियुक्ति के समय दो अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान किए थें तथा उनका वेतन ₹ 10,650 पर निर्धारित किया गया था, जो कि उचित नही था क्योंकि केंद्रीय सरकार को वेतन संरचना में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था।

iii. एक वैज्ञानिक के मामलें में, प्रारंभिक वेतन ₹ 7,600 जीपी के साथ ₹ 32,320 निर्धारित किया गया था, जो ₹ 7,600 जीपी के साथ ₹ 15,600-39,100 के अपेक्षित न्यूनतम समय वेतनमान से कहीं ज्यादा था।

iv. एक वैज्ञानिक को पाँच वर्षों की लागू रेसिडेंसी अवधि के पूर्ण होने के पहले ही पदोन्नति दी जा चुकी थी।

आर.आर.आई. ने कहा (अप्रैल 2015) कि इसने अपने कर्मचारियों के लिए कोई पृथक भर्ती तथा पदोन्नति नियमावली नहीं बनाया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आरआरआई को सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन संरचना का पालन करने की आवश्यकता है।

3.5.3 गैर-अकादमिक संवर्ग में पदोन्नति संबंधी नीति का अनियमित अंगीकरण

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बैंगलुरु (आई.आई.ए.) को एफ़सीएस की पदोन्नति संबंधी अंगीकरण नीति का पालन करना आवश्यक था जैसा कि इसके वैज्ञानिक कर्मचारियों के लिए डीएसटी/डीओपीटी द्वारा शुरू किया गया था। हमलोगों ने पाया कि आईआईए द्वारा तैयार की गई पदोन्नति संबंधी नीति केंद्र सरकार कर्मचारियों पर लागू आदेशों के अनुरूप नहीं था एवं उसके पास डीएसटी/डीओपीटी व एमओएफ़ की यथा अपेक्षित मंजूरी नहीं थी। लेखापरीक्षा जाँच में आगे पता चला कि आईआईएफ़ ने इसके अपने पदोन्नति संबंधी नीति का पालन नहीं किया था, जैसा कि विवरण तालिका 3 में दिया गया है।

तालिका 3: आईआईए द्वारा पदोन्नति संबंधी नीति में प्रावधानों का उल्लंघन

आईआईए की पदोन्नति संबंध नीति में प्रावधान	आईआईए द्वारा पदोन्नति संबंधी नीति का उल्लंघन
उन कर्मचारियों के मामलों, जिन्हें पदोन्नति नहीं दी गई थी, को समान्यत: 2 वर्षों के बाद पुनर्मूल्यांकन के लिए उठाया जाना था।	दो मामलों में, दो वर्षों के पूरा होने के पहले पुनर्मूल्यांकन तथा पदोन्नति पाए गए थे।
पदोन्नति के मामलों के मूल्यांकन के लिए गठित की गई समीक्षा समिति की सिफ़ारिशों की जाँच अन्य वरिष्ठ समितियों द्वारा की जानी थी।	21 मामलों में, कर्मचारियों को पदोन्नति शासी परिषद/वरिष्ठ समिति की जाँच के बिना प्रदान की गई थी।
पदोन्नति भूतलक्षी प्रभाव के साथ नहीं दिया जा सकता था।	31 पदोन्नति भूतलक्षी प्रभाव के साथ दी गई थी जिसके परिणाम स्वरूप 2009 तथा 2014 के बीच ₹ 18 लाख का अनियमित लाभ दिया गया।
निदेशक को पदोन्नति के लिए मूल्यांकन समिति की सिफ़ारिशों की समीक्षा करने तथा सुझाव देने के लिए नॉरमलाइजिंग समिति का गठन करना था।	संस्थान ने मूल्यांकन समिति से अधिक तथा उसके ऊपर के अधिकारों को मिलाकर मूल्यांकन समितियों की सिफ़ारिशों की समीक्षा करने के लिए नॉरमलाइजिंग समिति के अधिकार निर्धारित नहीं किए थें।
निदेशक द्वारा गठित समीक्षा समिति को गोपनीय प्रतिवेदनों, कार्य प्रतिवेदनों की जाँच करनी थी तथा जाँच समिति द्वारा चयनित कर्मचारी सदस्यों के कार्य तथा प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए वैयक्तिक साक्षात्कार संचालित करनी थी।	समिति ने कार्य प्रतिवेदन प्राप्त किए बिना तथा साक्षात्कार संचालिए किए बिना पदोन्नति के लिए उस कर्मचारी की सिफ़ारिश की।

3.5.4. फ्लेक्सिबल कॉमप्लिमेंटिंग स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति की अनियमित स्वीकृति

डी.ओ.पी.टी. ने वैज्ञानिकों के लिए एफसीएस की शुरुआत (नवम्बर 1998) की, जिसमें वैज्ञानिकों को पदोन्नति उस उद्देश्य, जिसकी पूर्ति कम-से-कम एक साल में होगी, के लिए गठित मूल्यांकन बोर्डों द्वारा प्रदान की जा सकती थी। डी.ओ.पी.टी. ने स्पष्ट (जुलाई 2002) कर दिया कि एफसीएस के मामलों में पदोन्नति भूतलक्षी प्रभाव के साथ नहीं दी जा सकती है तथा यह कहकर उसे आगे दोहराया (सितम्बर 2012) कि भूतलक्षी तिथि से बिना सामयिक मूल्यांकन, जैसा कि एफसीएस के दिशा-निर्देशों में निर्धारित है, पदोन्नति का लाभ देना कड़े मूल्यांकन पर एफसीएस निर्देशों भावना को कमजोर करेगा तथा इस तरह के अन्य स्कीमों में वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान करने के सदृश होगा।

हमारी जांच में पता चला कि 74 वैज्ञानिको को डीओपीटी के निर्देशों के उल्लंघन कर भूतलक्षी प्रभाव के साथ श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नॉलॉजी, तिरुवनन्तपुरम (एससीटीआईएमएसटी) में जीसी की मंजूरी के आधार पर एफसीएस के अन्तर्गत पदोन्नति प्रदान करने के फलस्वरूप इन कर्मचारियों को वर्ष 2009 तथा 2014 के बीच ₹ 8.70 करोड़ की राशि का अस्वीकार्य भुगतान करना पड़ा।

3.5.5 पेंशन का अनियमित संशोधन

आई.ए.सी.एस. की वित्त समिति ने एक निर्णय (जून 2009) लिया कि वे प्रोफेसर, जो ₹ 14300-22460 के वेतनमान पर थे (पाँचवे वेतन आयोग), 1 जनवरी 2006 के पहले सेवानिवृत्त हुए थें तथा ₹ 18400 से ज्यादा मूल वेतन ले रहे थे, उन्हें वरिष्ठ प्रोफेसर ₹ 18400-22400 (पाँचवे वेतन आयोग) के वेतनमान पर रखा जाएगा तथा वे जो ₹ 18400 से कम मूल वेतन ले रहे थे, उन्हे प्रोफेसर ₹ 16400-20,000 (पाँचवें वेतन आयोग) के पद पर रखा जाएगा।

हमने पाया कि उच्च वेतनमान में पेंशन का संशोधन डी.ओ.पी. एण्ड पी.डबल्यू के नियमों (फरवरी 2009) का उल्लंघन था जो बताता है पेंशन केवल वेतनमान जीपी के जोड़ से वेतन के संदर्भ में संशोधित होनी चाहिए, उस पूर्व संशोधित वेतनमान में जिसमें पेंशन की सेवानिवृति हुई है। इसीलिए, सेवानिवृति के पश्चात पद को अपग्रेड का लाभ 2006 के पूर्व के पेंशनर की नही देय होगा।

आई.ए.सी.एस. ने (अप्रैल 2015) स्वीकार किया कि वे व्यक्ति जिनकी पेंशन/पारिवारिक पेंशन वरिष्ठ प्रोफेसर में संशोधित कर दिया था, उन्होने उस वेतनमान में कभी कार्य नहीं किया था।

3.6 कर्मचारियों की पात्रता

यात्रा भत्ता,[23] अवकाश यात्रा रियायत[24] गृह निर्माण अग्रिम[25] अवकाश की स्वीकृति[26] तथा अन्य ऋण व अग्रिम[27] की जाँच की गई। इन क्षेत्रों में हमारी टिप्पणियां आगे पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

---

23 जी.एफ.आर. - 48 (भाग ।।), ए.आर. भाग ।। के साथ पठित

24 जी.एफ.आर. - 52 (भाग ।।), एल.टी.सी. नियम के साथ पठित

25 जी.एफ.आर. - 86 (भाग II), एच.बी.ए. नियम

26 एफ.आर. 54 से 104, एस.आर. भाग III के साथ पठित

27 जी.एफ.आर. 2012 भाग II

3.6.1 अकादमिक कर्मचारियों को भत्ते की स्वीकृति पर अनियमित व्यय

हमने एससीटीआईएमएसटी के अकादमिक कर्मचारियों को प्रदत्त भत्ते की मंजूरी में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई:

(ए) एससीटीआईएमएसटी ने अप्रैल 1999 से इसके अकादमिक कर्मचारियों को ₹ 2,500 प्रति माह की दर से क्लीनिकल रिसर्च भत्ता (सी.आर.ए.) तथा सभी वर्ग ए अधिकारियों को ₹ 250 प्रति माह की दर से अकादमिक भत्ते की मंजूरी प्रदान की। संस्थान के जीबी द्वारा सीआरए की राशि को अप्रैल 2011 से ₹ 10,000 प्रति माह तक संशोधित कर दिया गया। वर्ष 2009-14 के दौरान, एससीटीआईएमएसटी ने इसके कर्मचारियों को सीआरए तथा अकादमिक भत्ते पर ₹ 4.63 करोड़ की राशि का भुगतान किया।

हमने पाया कि केन्द्र सरकार नियमावली में ऐसा कोई भत्ता प्रचलित नहीं था। एमओएफ तथा प्रशासनिक मंत्रालय की मंजूरी के बिना कर्मचारियों को ₹ 4.63 करोड़ के भत्ते का भुगतान अनियमित था।

(बी) एससीटीआईएमएसटी के जी.बी. ने (मई 2002) पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा अन्य संसाधन सामग्रियों सामानों जैसे फ्लॉपी, सीडी, वीडियों, फिल्म, ट्रांसपेरेंसीज, स्लाइड्स तैयार करने के लिए कलर फिल्म्स की खरीद, स्लाइड्स को विकसित करने तथा आरोहण प्रभार इत्यादि, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ₹ 20,000 की अधिकतम राशि के अधीन संस्थान के अकादमिक कर्मचारियों के लिए लर्निंग रिसोर्स भत्ता (एलआरए) शुरू करने का निर्णय लिया। ऐसा ही एक भत्ता एआईआईएमएस में दिया जा रहा था जिसे एमओएचएफडब्ल्यू द्वारा, यह निर्देश देते हुए (जुलाई 2004) कि एलआरए को तत्काल बन्द किया जाना चाहिए तथा उसके स्थान पर संकाय सदस्यों (faculty members)/वर्ग ए अधिकारियों को उनके कार्य से संबंधित पुस्तकों/पत्रिकाओं की खरीद के लिए पुस्तकालय प्रशासन के माँग पत्र भेजने की अनुमति दी जा सकती थी, अस्वीकार कर दिया गया था। एआईआईएमएस ने, फिर भी, इसके संकायों/वर्ग ए अधिकारियों को एलआरए का भुगतान करना जारी रखा। एआईआईएमएस द्वारा एलआरए के भुगतान पर बिचार करते हुए, एससीटीआईएमएसटी ने एलआरए की दर संकाय सदस्यों को (अप्रैल 2011) ₹ 20,000 से ₹ 60,000 प्रतिवर्ष तथा सभी समूह ए अधिकारियों को ₹ 10,000 से ₹ 30,000 प्रतिवर्ष तक बढा दिया।

लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि 2009-14 के दौरान एससीटीआईएमएसटी ने अपने संकायों/वर्ग ए अधिकारियों को एलआरए की और ₹ 2.23 करोड़ की राशि का भुगतान किया। सरकार की मंजूरी के बिना एलआरए का भुगतान अनधिकृत था।

डी.एस.टी. ने (मई 2016) उपरलिखित अनियमितताओं पर सुधारात्मक कारवाई हेतु सहमति जताई।

3.6.2 अपात्र कर्मचारियों को हॉस्पिटल पेशेंट केयर भत्ते की मंजूरी

एमओएचएफडब्ल्यू ने ₹ 700 प्रति माह की दर से अस्पतालों में कार्यरत वर्ग सी तथा डी (गैर-मंत्रालयी) कर्मचारियों जिनके दैनिक कार्यों में संक्रामक रोगों से संक्रमित रोगियों के साथ लगातार तथा नियमित सम्पर्क अथवा वे जिन्हें उनके प्राथमिक कार्य के रूप में, संक्रमित सामाग्रियों, औजारों तथा उपकरण, जो संक्रमण फैला सकते थें, को नियमित रूप से संभालना पडता था, शामिल थे, को अस्पताल रोगी सेवा भत्ता (एचपीसीए) प्रदान करना शुरू किया किया था। एमओएफ ने आगे स्पष्ट किया कि एचपीसीए उन वर्गों के कर्मचारियों, जिनका संक्रमित सामाग्रियों से अरक्षितता अथवा रोगियों के साथ सम्पर्क असामयिक प्रकृति का था, को नहीं दिया जाना चाहिए।

एस.सी.टी.आई.एम.एस.टी. 253 बिस्तरों का अस्पताल है तथा हृदय, वक्ष एवं तंत्रिका संबंधी बिमारियों के लिए तृतीयक रेफरल केन्द्र है। एस.सी.टी.आई.एम.एस.टी. ने इसके सभी समूह सी व डी कर्मचारियों को एच.पी.सी.ए. दे दिया। लेखा परीक्षा जांच से पता चला कि 2009-14 (2012-13 को छोड़कर) के दौरान एस.सी.टी.आई.एम्.एस.टी. ने इसके कर्मचारियों को बिना डी.एस.टी. तथा एम.ओ.एफ. के अनुमोदन की प्राप्ति के ₹ 1.53 करोड़ के एचपीसीए का भुगतान किया।

डी.एस.टी. तथा एम.ओ.एफ. की अनुमति बिना कर्मचारियों को एच.पी.सी.ए. दिया जाना अनियमित था।

3.6.3 वैज्ञानिकों को अस्वीकार्य भत्ते

एआरसीआई के जीसी ने स्पेशल वेतन तथा इसके वैज्ञानिकों को अद्यतन भत्ते प्रदान करने के लिए एमओएफ की मंजूरी प्राप्त करने हेतु डीएसटी से अनुरोध (मार्च 2003) किया। यद्यपि एआरसीआई ने अपने वैज्ञानिक कर्मचारियों को 2007-14 की अवधि के लिए एमओएफ से अपेक्षित मंजूरी प्राप्त किए बिना ₹ 32.23 लाख की राशि का अद्यतन भत्ते के रूप में भुगतान किया।

ए.आर.सी.आई. ने कहा (2015) कि भत्ते की स्वीकृति जीसी द्वारा मंजूर की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्तीय निहितार्थ वाले प्रस्ताव में एम.ओ.एफ. की पूर्व मंजूरी आवश्यक थी तथा जी.सी. ने भी एम.ओ.एफ. की मंजूरी की अनुशंसा की थी।

3.6.4. कर्मचारियों को भत्ते को अतिरिक्त भुगतान

वर्तमान आदेशों के अनुसार, गृह किराया भत्ता (एचआरए) क्रमश एक्स, वाई एवं जेड के वर्गों में शहर के वर्गीकरण के अनुसार मूल वेतन का 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत क्रमशः की दर पर दिया जाना चाहिए था। अन्य अवर्गीकृत शहर 'जेड' वर्ग के रूप में समझे जाने थें। इसी प्रकार, यात्रा भत्ता (टीए) शहरों के वर्गीकरण के अनुसार स्वीकार्य था।

हमने पाया कि 2009-14 के दौरान आईआईए ने हॉस्कॉट (एक अवर्गीकृत शहर) में तैनात इसके कर्मचारियों के सम्बन्ध में एचआरए तथा टीए बैंगलोर शहर (वर्ग एक्स) पर लागू दर पर भुगतान किया। उच्च दर पर एचआरए तथा टीए का भुगतान अनियमित था एवं संस्थान ने ऐसे भुगतान पर ₹ 74.35 लाख का अतिरिक्त व्यय किया।

3.6.5 त्यौहार अग्रिम का अस्वीकार्य भुगतान

जीएफआर के प्रावधानों में अनुबंधित था कि अराजपत्रित कर्मचारी, जिनका जीपी ₹ 4,800 से ज्यादा नहीं है, वे अक्टूबर 2008 से ₹ 3000 की राशि त्यौहार अग्रिम का निकास करने के पात्र हैं। त्यौहार अग्रिम की दर को जनवरी 2011 से ₹ 3,750 तक तथा जनवरी 2014 से ₹ 4,500 तक बढ़ा दिया गया था।

लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि 2009 तथा 2015 के बीच बीआई ने राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारियों दोनों को त्यौहार अग्रिम का भुगतान किया। जिसके परिणामस्वरूप अपात्र कर्मचारियों को ₹ 1.31 करोड़ के त्यौहार अग्रिम का अनियमित विस्तारण हुआ।

डी.एस.टी. ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया (मई 2016)।

3.6.6 कर्मचारियों को अनियमित अवकाश लाभ

सरकारी नियमावली के अनुसार, विश्राम कालीन अवकाश केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में शिक्षकों को उनकी कुशलता तथा उच्च शिक्षा पद्धति एवं विश्वविद्यालय की उपयोगिता वृद्धि करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए अध्ययन अथवा अनुसंधान या अन्य अकादमिक खोज करने के लिए स्वीकार्य था। अवकाश की अवधि एक बार में एक साल तथा कर्मचारी के पूरे कार्यकाल में दो साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमने पाया कि एसएनबीएनसीबीएस ने चार वर्षों के विश्राम काल अवकाश की मंजूरी के लिए इसके बाई-लॉज में एक प्रावधान सम्मिलित किया। इसके अलावा, इसने एक वैज्ञानिक को पाँच वर्षों से ज्यादा के लिए उक्त अवकाश प्रदान किया एवं इस

तरह, ज्यादा अवधि के लिए अवकाश प्रदान किया। इस कारण उस वैज्ञानिक की ₹ 36.13 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया था।

3.7 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति

3.7.1 सेवानिवृत्ति से संबंधित नियम एवं विनियम

चयनित 17 स्वायत्त निकायों में से, तीन स्वायत्त निकायों (आईएनएसए, आईआईजी एवं एआरआई) के बनाए हुए नियम व विनियम वर्तमान सरकारी नियमों के अनुरुप थे। शेष 14 स्वायत्त निकायों ने अपने नियमवाली बनाए थें परंतु ये नियम वर्तमान सरकारी विनियमों से भिन्न थे। फिर भी, डी.एस.टी. तथा एम.ओ.एफ़. की ली गई मंजूरी, जैसा कि निर्धारित था, अभिलेख में उपलब्ध नहीं था। नियमों के व्यतिक्रम की विस्तृत स्थिति ***परिशिष्ट X*** में दी गई है।

3.7.2 सेवा विस्तार की अनियमित मंज़ूरी

डी.ओ.पी.टी. (जुलाई 2006) ने स्वायत्त निकायों के लिए निर्देश जारी किया कि स्वायत्त निकायों के मुख्य कर्मचारियों के कार्यकाल में विस्तार की स्वीकृति के लिए प्राधिकार एसीसी में निहित होगा। मुख्य कार्यकारियों के अलावा ₹ 18,400-22,400 एवं उससे ज्यादा के वेतनमान वाले व्यक्तियों के कार्यकाल में बढ़ोतरी पर विचार जांच-सह-चयन समिति (एसएससी) द्वारा किया जाना था तथा उनकी सिफारिशें मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित की जानी थी। किसी व्यतिक्रम में एसीसी की मंज़ूरी आवश्यक होगी। निम्नलिखित तीन स्वायत्त निकायों के डीओपीटी के निर्देशों का उल्लंघन किया जैसा कि तालिका 4 में दर्शाया गया है।

तालिका 4: सेवाओं के अनियमित विस्तार के कारण अस्वीकार्य भुगतान

स्वायत्त निकाय	विवरण	वेतनमान	सेवानिवृत्ति का महीना	तक विस्तारित	अनियमित विस्तार का कारण	अनियमित भुगतान ₹ करोड़ में
एसएनबीए नसीबीएस	वैज्ञानिक कर्मचारी	37,400-67,000 के साथ जीपी 10,000	अप्रैल 2006	मई 2010	एसएससी के माध्यम से नहीं	0.37
एसएनबीए नसीबीएस	मुख्य कार्यकारी	80,000 निर्धारित	फरवरी 2012	सितंबर 2014	एसीसी द्वारा मंज़ूरी प्राप्त फरवरी 2014 से ज्यादा नहीं लिया गया	0.11
आईएएस	कार्यकारी सचिव	37,400-67,000 के साथ जीपी 8,900	नवंबर 2013	अप्रैल 2016	एसीसी के मंज़ूरी के बिना	0.23

स्वायत्त निकाय	विवरण	वेतनमान	सेवानिवृत्ति का महीना	तक विस्तारित	अनियमित विस्तार का कारण	अनियमित भुगतान ₹ करोड़ में
आईआईए	इंजीनियर जी	37,400-67,000 के साथ जीपी 10,000	जुलाई 2009	जुलाई 2011	एसएससी/ एसीसी की मंजूरी रहित	2.70
	वरिष्ठ प्रोफेसर	37,400-67,000 के साथ जीपी 10,000	जून 2014	जून 2016		
			जनवरी 2009	जनवरी 2011		
			मई 2009	मई 2011		
			दिसंबर 2010	दिसंबर 2014		
	प्रोफेसर	37,400-67,000 के साथ जीपी 8,900	मई 2010	मई 2012		
	निदेशक	67,000-79,000	जून 2010	जून 2012		
कुल						**3.41**

सरकारी आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप अकादमिक कर्मचारियों की सेवाओं विस्तार पर ₹ 3.41 करोड़ का अस्वीकार्य भुगतान हुआ।

टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए डीएसटी ने कहा (मई 2016) कि केवल रिक्त पड़े हुए पदों में सेवा विस्तार की मंजूरी प्रदान की गई तथा सेवा विस्तार प्रदान किए गए सभी व्यक्तियों ने परिणाम दिए थे। तथ्य शेष रहा कि जीओआई निर्देशों के व्यतिक्रम के मामलों में वित्त मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी।

3.8 सेवाओं की आउटसोर्सिंग

3.8.1 परामर्शियों की पारिश्रमिक

डी.ओ.पी.टी. आदेश ने (अप्रैल 2009) बताया की सलाहकारो की नियुक्ति के सभी मामलों में एकसरता लाने के लिए, जीएफआर में दिए गए प्रावधान लागू होंगे।

एस.एन.बी.एन.सी.बी.एस. में 2010-2014 के दौरान 47 व्यक्तियों की ठेकेदार नियुक्ति की तथा एकमुश्त मासिक पारिश्रमिक, तीन प्रतिशत के वार्षिक वेतन वृदधि, डीए, एचआरए जैसा नियमित कर्मचारियों पर लागू था, का भुगतान किया गया। स्थायी मासिक पारिश्रमिक के अलावा उन्हे अन्य लाभ अंतिम वेतन निकास आधारित 30

दिनो के अवकाश भुगतान तथा चिकित्सा भुगतान भी देय थे। संविदात्मक कर्मचारियों को पारिश्रमिक भुगतान तथा अन्य लाभ जीएफआर के प्रावधानो का उल्लंघन था।

3.8.2 स्वीकृत क्षमता से अधिक संविदात्मक कर्मचारियों की नियुक्ति

मार्च 2006 तक आईएसीएस के पास ₹ 12,000-16,500 के वेतनमान में कुलसचिव का एक स्वीकृत पद तथा ₹ 10,000-15,200 के वेतनमान में उप-कुलसचिव का एक स्वीकृत पद था। अक्टूबर 2007 में आईएसीएस ने ₹ 14,300-18,300 के वेतनमान में कुलसचिव के रूप में एक परामर्शी की नियुक्ति की, जबकि आईएसीएस में उस वेतनमान में कुलसचिव का कोई स्वीकृत पद नहीं था। उस पदाधिकारी ने अगस्त 2009 में आईएसीएस से त्यागपत्र दे दिया। आईएसीएस ने अक्टूबर 2007 से अगस्त 2009 की अवधि के दौरान ₹ 15.24 की राशि का भुगतान किया, जो अनियमित था।

3.9 निष्कर्ष

चयनित स्वायत्त निकायों की प्रशासनिक कार्यप्रणाली लागू नियमों व प्रावधानों के अनुसार नहीं थी। पदों की सृजनता, नियुक्ति, वैज्ञानिकों की पदोन्नति नियम, स्टॉफ पात्रता, सेवानिवृत मामलों तथा सेवाओं की आउटसोर्सिंग में नियमों व प्रावधानों का उल्लंघन था।

3.10 अनुशंसा

1. डी.एस.टी. यह सुनिश्चत करे कि स्वायत्त निकाय पदों के सृजन, नियुक्ति, पदोन्नति, सेवानिवृति, स्टॉफ पात्रता तथा अन्य प्रशासनिक मामलों में, उस स्वायत्त निकायों की जी.बी./कांउसिल के शक्ति के निर्दिष्ट बॉयलॉज को उचित धारा समाहित हो।

2. डी.एस.टी. यह सुनिश्चित करे कि स्वायत्त निकाय, जो विश्वविद्यालय के रूप में मान्य है, यूजीसी के वेतन संरचना के सम्बन्ध में मार्गनिर्देशों का पालन करें।

4 अध्याय

डी.एस.टी. के निगरानी कार्य

4.1 प्रस्तावना

यद्यपि स्वायत्त निकाय अपने दैनिक क्रियाकलाप में स्वायत्त है, तथापि प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के पास सामान्य निदेश और पर्यवेक्षण के मामले में इन स्वायत्त निकायों के ऊपर महत्वपूर्ण नियंत्रण है। डी.एस.टी. की पर्यवेक्षकीय भूमिक में कमियों पर हमारी टिप्पणियों की चर्चा इस अध्याय में की गई है।

4.2 समानांतर समीक्षा नहीं करना

जीएफ़आर का नियम 208(V) अनुबंध करता है कि आकार एवं गतिविधि की प्रकृति को देखते हुए प्रत्येक तीन या पाँच वर्ष पर स्वायत्त संगठनों की वाह्य अथवा समानांतर समीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरह की समीक्षा उस (ए) उद्देश्य पर केन्द्रित होनी चाहिए जिसके लिए स्वायत्त निकाय की स्थापना की गई हो तथा क्या इन उद्देश्यों को हासिल किया गया था या किए जा रहे थे; (बी) क्या गतिविधियों को किसी भी तरह जारी रखा जाना चाहिए, या तो क्योंकि वे अब और प्रासंगिक नहीं हो या पूर्ण कर लिए गए हो या अगर उद्देश्यों को हासिल करने में पर्याप्त विफलता रही हो; (सी) क्या गतिविधियों की प्रकृति इस प्रकार थी कि इन्हें सिर्फ किसी एक स्वायत्त निकाय द्वारा कार्यान्वित किया जाना जरूरी था; (डी) क्या समान कार्य किसी अन्य संगठन द्वारा किए जा रहे है, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार या निजी क्षेत्र, अगर ऐसा है तो, क्या समीक्षाधीन संगठनों के विलय अथवा समाप्त करने की गुंजाइश थी, इत्यादि।

हमने पाया कि 2009-14 के दौरान उपरोक्त उद्देश्यों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डीएसटी द्वारा अपने किसी भी स्वायत्त निकाय की कोई भी वाह्य अथवा समानांतर समीक्षा नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते समय, डीएसटी ने कहा (मई 2016) कि स्वायत्त निकायों के प्रदर्शन का मूल्यांकन और समीक्षा कई समितियों द्वारा की जा रही है।

डीएसटी ने, हालांकि, आश्वस्त किया कि 16 अनुसंधान संस्थानों की समानांतर समीक्षा इस वित्तीय वर्ष में पूरी कर ली जाएगी और शेष आठ स्वायत्त निकायों की समानांतर समीक्षा अगले वित्तीय वर्ष में की जाएगी।

4.3 सहायता अनुदान जारी करने में नियंत्रण की कमी

जीएफ़आर के नियम 209(5) के अनुसार किसी अनुदान को संस्वीकृत करने वाले प्रत्येक आदेश में स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह आवर्ती है या गैर आवर्ती तथा उद्देश्य के बारें में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए उसके लिए वह दिया जा रहा है तथा सामान्य या विशेष शर्तें, अगर कोई हो तो, अनुदान से संलग्न होनी चाहिए। विनिर्दिष्ट उद्देश्य हेतु गैर-आवर्ती अनुदान के मामले में, आदेश में समय सीमा भी स्पष्ट होनी चाहिए जिसके भीतर अनुदान या प्रत्येक किश्त खर्च किया जाना है।

हमने 11 स्वायत्त निकायों द्वारा उपलब्ध कराए गए ₹ 1,386.14 करोड़ मूल्य के 443 संस्वीकृति आदेश की जांच की तथा पाया कि किसी भी संस्वीकृत आदेश में विवरण जैसे कि अनुदान की प्रकृति जो कि आवर्ती था या गैर-आवर्ती, उद्देश्य जिसके लिए अनुदान जारी किया गया था तथा समय सीमा जिसके भीतर अनुदान या प्रत्येक किश्त खर्च किया जाना था, का उल्लेख नहीं था।

डीएसटी ने कहा (मई 2015) कि अधिकांश अनुदान योजना के अंतर्गत दिए गए थे तथा दो प्रतिशत की बहुत कम राशि गैर-ओजना के अंतर्गत दी गई थी। उसने आगे कहा कि स्वायत्त निकायों को जारी किए गए अनुदान किसी खास वित्तीय वर्ष, में स्थापन चलने के लिए कर्मचारियों के वेतन पर आवर्ती व्यय, सामान्य व्यय और पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन आदि पर व्यय करने के लिए थे।

यह तथ्य कायम रहा कि संस्वीकृति आदेश जीएफ़आर के प्रावधानों के अंतर्गत जारी नहीं किए गए थे जैसा कि आवश्यक था।

4.4 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की निगरानी

जीएफ़आर 212(1) के अनुसार सरकारी संस्थानों सहित मंत्रालय/विभाग को अनुदेयी संस्थानों/संगठनों से निर्धारित प्रपत्र में दर्शाते हुए कि अनुदान का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए वह संस्वीकृत किया गया था, उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक था। जीएफ़आर में यह भी अनुबंध था कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र को बताना चाहिए कि क्या उपयोग की गई राशि के विरुद्ध निर्धारित विनिर्दिष्ट, परिमाणत्मक एवं गुणात्मक लक्ष्य वास्तव में हासिल किए गए थे, अगर नहीं तो, कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिए। उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को किए गए व्यय तथा

भंडार एवं परिसंपत्तियों के आपूर्तिकर्ताओं को, निर्माण एजेंसियों को, गृह निर्माण एवं वाहन आदि की खरीद हेतु कर्मचारियों को दिए गए ऋण व अग्रिम, जिसे अप्रयुक्त अनुदान के रूप में समझा जाना चाहिए परंतु आगे स्थानांतरित किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए, का अलग से खुलासा करना चाहिए। बाद के वर्षों के लिए अनुदानों को विनियमित करते समय, आगे स्थानातरित की गई राशि को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

यह देखा गया कि 17 चयनित स्वायत्त निकायों द्वारा डीएसटी को प्रस्तुत किए गए किसी भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक लक्ष्यों की उपलब्धि का विवरण, लक्ष्यों की गैर-उपलब्धि के लिए कारणों, परिणाम आधारित प्रदर्शन मूल्यांकन, किए गए वास्तविक व्यय तथा भंडार एवं परिसंपत्तियों के आपूर्तिकर्ताओं को, निर्माण एजेंसियों को गृह निर्माण एवं वाहन आदि की खरीद हेतु कर्मचारियों को दिए गए ऋण व अग्रिम का विवरण निहित नहीं था। परिणामस्वरूप, उपयोगिता प्रमाण-पत्रों ने नहीं बताया कि क्या उस उद्देश्य की वास्तव में पूर्ति कि गई जिसके लिए सहायता अनुदान दिए गए थें।

डी.एस.टी. ने कहा (मई 2016) कि स्वायत्त निकायों द्वारा किए गए कार्य की अनिश्चित प्रकृति की वजह से लक्ष्यों को निर्धारित करना कठिन था परंतु आश्वस्त किया कि विभिन्न परिणामों मॉडल को उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र में शामिल किया जाएगा।

4.5 आंतरिक लेखापरीक्षा में कमियाँ

4.5.1 आंतरिक लेखापरीक्षा में कमी

जीएफ़आर का नियम 211(1) अनुबंध करता है कि सभी अनुदेयी संस्थानों अथवा संगठनों का लेखा संस्वीकृति प्राधिकार एवं लेखापरीक्षा, दोनों सीएजी के (डीपीसी) अधिनियम 1971 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा तथा आंतरिक लेखापरीक्षा मंत्रालय या विभाग के प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा निरीक्षण हेतु खुला होना चाहिए, जब कभी संस्थान या संगठन को ऐसा करने के लिए बुलाया जाता है और इस आशय के लिए प्रावधान सदैव ही सहायता अनुदान स्वीकृत करने वाले सभी आदेशों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। डी.एस.टी. अपने स्वायत्त निकायों की वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा का लक्ष्य निर्धारित करता है। वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 हेतु लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण तालिका 5 में दिया गया है।

तालिका 5 स्वायत्त निकायों की आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष	डी.एस.टी. के नियंत्रणाधीन स्वायत्त निकाय	आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु निर्धारित लक्ष्य (यूनिटों की संख्या में)	लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि	लक्ष्य के अंतर्गत कवर नहीं किए गए यूनिट	लक्ष्य में कमी का प्रतिशत
2013-14	28	28	11	17	61
2014-15	28	28	17	11	39

पूर्व की अवधि के विवरण उपलब्ध नहीं थे। तालिका दर्शाता है कि डीएसटी द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान क्रमशः 61 प्रतिशत एवं 39 प्रतिशत की कमी थी। उपर्युक्त कमी के कारण आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन एवं उपचारी उपाय का कार्यान्वयन नहीं किया जा सका।

डी.एस.टी. ने कहा (मई 2016) कि सभी यूनिट्स की आंतरिक लेखापरीक्षा जन शक्ति की कमी के कारण नहीं की जा सकी। प्रत्युत्तर स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि डी.एस.टी. को लक्ष्य निर्धारित करते समय जन शक्ति की कमी का पूर्णतया ज्ञान था।

4.6 निष्कर्ष

डी.एस.टी. का अपने स्वायत्त निकायों के ऊपर निगरानी नियंत्रण कमजोर था। जीएफ़आर के प्रावधानों के अनुसार कोई समानांतर समीक्षा नहीं की गई थी, जिसके कारण स्वायत्त निकायों के प्रदर्शन के परिमाण का मूल्यांकन नहीं किया गया। डी.एस.टी. द्वारा अनुदानों के भुगतान हेतु संस्वीकृति पत्रों ने अनुदानों की प्रकृति स्पष्ट नहीं की। स्वायत्त निकायों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्रों के जमा करने की निगरानी लचर थी। 19 स्वायत्त निकायों द्वारा डी.एस.टी. को प्रस्तुत किए गए उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में से किसी में विनिर्दिष्ट, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक लक्ष्यों के बारे में उपलब्धि निहित नहीं थी। डी.एस.टी. द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा करने में कमी थी।

4.7 अनुशंसा

डी.एस.टी. अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी स्वायत्त निकायों के समानांतर समीक्षा के आधार पर स्वायत्तता की सीमा के निर्धारण हेतु एक तंत्र विकसित कर सकता है। डी.एस.टी. अपना आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र मजबूत कर सकता है।

(मनीष कुमार)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
वैज्ञानिक विभाग

नई दिल्ली
दिनांक : 15 जुलाई 2016

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिल्ली : 18 जुलाई 2016

परिशिष्ट

परिशिष्ट I (पैराग्राफ 1.1 देखें)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन स्वायत्त निकायों की सूची

स्वायत्त निकाय	***स्थापना वर्ष***	***पंजीकरण अधिनियम***
1. आघारकर अनुसंधान संस्थान, पुणे	*1946*	*सोसायटीज पंजीकरण (महाराष्ट्र) नियम, 1971*
2. आर्यभटट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, नैनीताल	*1954*	*उत्तर प्रदेश सोसायटीज पंजीकरण नियम, 1976*
3. बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान, लखनऊ	*1946*	*उत्तर प्रदेश सोसायटीज पंजीकरण नियम, 1976*
4. बोस इंस्टीट्यूट, कोलकाता	*1917*	*पश्चिम बंगाल सोसायटीज पंजीकरण एक्ट, 1961*
5. सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साईंस, बैंगलुरु	*1991*	*कर्नाटक सोसायटीज पंजीकरण एक्ट, 1960*
6. इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साईंस, कोलकाता	*1876*	*पश्चिम बंगाल सोसायटीज पंजीकरण एक्ट, 1961*
7. भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बैंगलुरु	*1786*	*कर्नाटक सोसायटीज पंजीकरण एक्ट, 1960*
8. भारतीय भू-चुम्बकत्व संस्थान, मुबंई	*1971*	*सोसायटीज पंजीकरण (महाराष्ट्र) नियम, 1971*
9. इंटरनेशनल एडवांसड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मैटलर्जी एंड न्यू मैटिरियल्स, हैदराबाद	*1997*	*आंध्रप्रदेश सोसायटीज पंजीकरण एक्ट, 2001*
10. नैनो बिज्ञान एवं प्रोद्योगिकी संस्थान, मोहाली	*2013*	*सोसायटीज पंजीकरण एक्ट, 1860*
11. विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान, गुवाहाटी	*1979*	*सोसायटीज पंजीकरण एक्ट, 1860*
12. भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी नई दिल्ली	*1987*	*उत्तर प्रदेश सोसायटीज पंजीकरण नियम, 1976*
13. भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी नई दिल्ली	*1935*	*उत्तर प्रदेश सोसायटीज पंजीकरण नियम, 1976*

स्वायत्त निकाय	स्थापना वर्ष	पंजीकरण अधिनियम
14. भारतीय विज्ञान अकादमी बैगलुरु	1934	कर्नाटक सोसायटीज पंजीकरण एक्ट, 1960
15. भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन कोलकाता	1914	पश्चिम बंगाल सोसायटीज पंजीकरण एक्ट, 1961
16. जवाहर लाल नेहरु उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र बैंगलुरु	1989	कर्नाटक सोसायटीज पंजीकरण एक्ट, 1960
17. राष्ट्रीय परीक्षण और अंश शोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड नई दिल्ली	1981	सोसायटीज पंजीकरण एक्ट, 1860
18. राष्ट्रीय इनोवेशन फांउडेशन अहमदाबाद	2000	सोसायटीज पंजीकरण एक्ट, 1860
19. राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी - भारत, इलाहाबाद	1930	उत्तर प्रदेश सोसायटीज पंजीकरण नियम, 1976
20. नोर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एण्ड रिसर्च नई दिल्ली	2012	उत्तर प्रदेश सोसायटीज पंजीकरण नियम, 1976
21. रमण अनुसंधान संस्थान बैंगलुरु	1948	कर्नाटक सोसायटीज पंजीकरण एक्ट, 1960
22. साईंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड नई दिल्ली	2008	संसद एक्ट
23. सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साईंस कोलकाता	1986	पश्चिम बंगाल सोसायटीज पंजीकरण एक्ट, 1961
24. श्री चित्रा तिरुनल आर्युविज्ञान एवं प्रोद्योगिकी संस्थान, तिरुवन्नतपुरम	1973	संसद एक्ट
25. प्रोद्योगिकी विकास बोर्ड नई दिल्ली	1996	संसद एक्ट
26. प्रोद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद नई दिल्ली	1988	उत्तर प्रदेश सोसायटीज पंजीकरण नियम, 1976
27. विज्ञान प्रसार नोएडा	1989	उत्तर प्रदेश सोसायटीज पंजीकरण नियम, 1976
28. वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान, देहरादून	1968	उत्तर प्रदेश सोसायटीज पंजीकरण नियम, 1976

परिशिष्ट-II (पैराग्राफ 1.4 देखें)

स्वायत्त निकायों द्वारा किया गया व्यय तथा सहायतानुदान

(₹ करोड़ में)

स्वायत्त निकाय		2009-14 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान	2009-14 के दौरान हुआ व्यय
1.	अगरकर अनुसंधान संस्थान, पुणे	69.53	72.06
2.	आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, नैनीताल	158.23	140.21
3.	बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान, लखनऊ	104.91	116.96
4.	बोस संस्थान, कोलकाता	253.22	259.79
5.	सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइन्स, बंगलुरू	23.92	24.96
6.	इंडियन एसोसिएशन फॉर दि कल्टिवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता	281.02	314.08
7.	भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बंगलुरू	243.26	242.46
8.	भारतीय भू-चुम्बकत्व संस्थान, मुंबई	136.08	144.68
9.	इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, हैदराबाद	241.04	257.03
10.	भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली	67.49	81.08
11.	भारतीय विज्ञान अकादमी, बेंगलुरू	49.80	52.01
12.	जवाहर लाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, बंगलुरू	253.22	278.48
13.	राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी-इंडिया, इलाहाबाद	43.99	43.99
14.	रमण अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरू	183.27	188.63
15.	सत्येंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइन्स, कोलकाता	148.25	153.88
16.	श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम	451.15	777.04
17.	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली	41.00	416.60
18.	प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद, नई दिल्ली	81.69	94.95
19.	वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान, देहरादून	131.87	136.57
	कुल	**2,962.94**	**3,795.46**

परिशिष्ट III (पैराग्राफ 3.2 देखें)

स्वायत्त निकायों के नियमावली/बाई-लॉज/विनियमों में प्रतिबंधित उपबंधों के समावेश की स्थिति कि परिलब्धियां ढांचे से संबंधित प्रस्ताव और उसका पुनरीक्षण के लिए एमओएफ़ के परामर्श से भारत सरकार की पूर्व मंजूरी जरूरी होगा

स्वायत्त निकाय	स्वायत्त निकायों के नियमावली/बाई-लॉज/विनियमों में मौजूदा उपबंध का विवरण
आरआरआई, सीएनएसएमएस, जेएनसीएएसआर, एआरआईईएस, आईआईए	परिषद समय समय पर संस्थान के कर्मचारियों के वेतनमान एवं भत्ते निर्धारित करेगा। समान्यतः यह इसकी श्रेणी के केन्द्रीय सरकार कर्मचारी के संबंध में केंद्र सरकार के मानकों का पालन करेगा।
एसएनबीसीबीएस, एनएएसआई	केंद्र के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें सहित परिलब्धियां ढांचा सामान्यतः केंद्र सरकार के कर्मचारियों हेतू भारत सरकार द्वारा अपनाए गए प्रतिमानों का अनुसरण करेगा।
डबल्यूआईएचजी	संस्थान के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए वेतनमान बाई-लॉज में निहित अनुसूची में विनिर्दिष्ट होना चाहिए। भत्ता ढांचा केन्द्रीय सरकार कर्मचारी की तरह ही लागू होगा।
बीआई	संस्थान के नियमित कर्मचारियों का वेतनमान समय-समय पर भारत सरकार के परमर्श से निर्धारित किया जाएगा।
बीएसआईपी	किसी भी स्थाई आदेशों जो संस्थान के प्राधिकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जा सकते हैं, के अधीन शासी निकाय द्वारा उनकी परिलब्धियां, भत्ते एवं अन्य संबंधित मामले से संबंधित बनाए गए नियमों द्वारा संस्थान के कर्मचारी शासित किए जाएगे।
आईएससीएस	परिषद ग्रुप ए श्रेणी सहित सभी तरह की नियुक्तियां करेगा तथा मौजूदा भारत सरकार के नियमों के अनुसार उनका पारिश्रमिक निर्धारित करेगा।
एआरसीआई	संस्थान भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित सीसीएस (वेतन नियमावली) के अनुसार वेतन ढांचा अपनाएगा।
आईएएस	अकादमी के कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें परिषद द्वारा इस संबंध में भारत सरकार के आदेशों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए नियमों द्वारा शासित किए जाएगे।
आईएनएसए	केंद्र सरकार के नियमों को पालन करने के लिए कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते एवं सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें जो सेवा शर्तों एवं वित्त को प्रभावित करती हैं, के पुनीरीक्षण/अंगीकरण पर विचार करने तथा परिषद को सिफ़ारिशें करने के लिए व्यवस्था किया गया था।

स्वायत्त निकाय	स्वायत्त निकायों के नियमावली/बाई-लॉज/विनियमों में मौजूदा उपबंध का विवरण
आईआईजी	सभी पदों के लिए वेतनमान और भत्ते सामान्यतः वैसा ही होगा जैसा कि संस्थान द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया हो तथा व्यापक रूप से केन्द्रीय सरकार के अनुरूप होगा।
एआरआई	सभी पदों का पद वेतनमान एवं भत्ते वही होंगे जो संस्थान परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए हो। वेतनमान के पुनीरीक्षण हेतू डीएसटी से पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी।
टीआईएफ़एसी	वेतनमान, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें शासी निकाय द्वारा बनाए गए कर्मचारी नियम द्वारा शासित किए जाएगे।

परिशिष्ट IV (पैराग्राफ 3.3.1 देखें)

11 स्वायत्त निकायों के शासी परिषद/शासी निकाय द्वारा अनियमित रूप से सृजित किए गए पदों का विवरण

स्वायत्त निकाय	सृजन/अपग्रेड किए गए पद	अपग्रेड किए गए पद का नाम	स्तर	वेतन पर किए गए व्यय (₹ लाख में)	लेखापरीक्षा टिप्पणी पर स्वायत्त निकाय का उत्तर
आई.ए.सी.एस.	19	व. प्रोफेसर	ग्रुप ए	40.00[1]	कोई उत्तर नहीं
बी.आई.	12	व. प्रोफेसर	ग्रुप ए	16.00	कोई उत्तर नहीं
बी.आई.	13	12 कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक एवं 1 कनिष्ठ ओवरसियर-सह-केयरटेकर	ग्रुप सी	34.00	कोई उत्तर नहीं
ए.आर.सी.आई.	13	वैज्ञानिक	ग्रुप ए	437.00	ए.आर.सी.आई. ने यह कहते हुए (नवंबर 2014) नियुक्तियों को न्यायसंगत सिद्ध किया कि गतिविधियां कई गुणा बढ़ गई और वैज्ञानिक कर्मचारियों की कमी थी
	5	वैज्ञानिक बी	ग्रुप ए	193.00	
	71	तकनीकी ए, तकनीकी सहायक ए, तकनीशियन सहायक बी, प्रयोगशाला सहायक, ड्राइवर	ग्रुप ए से ग्रुप सी	594.64	
आई.आई.ए.	84	66 टेक्निकल/ प्रशासनिक, 28 अकादमिक कर्मचारी	ग्रुप ए से ग्रुप सी	977.00[2]	आई.आई.ए. ने बताया (जनवरी 2015) कि पदों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत स्वीकृत पदों का विवरण उनके पास नहीं था।
एस.एन.बी.एन.सी.बी.एस.	12	अकादमिक	ग्रुप ए	327.00	एस.एन.बी.एन.सी.बी.एस. ने कहा (नवंबर 2014) कि चूंकि मामले की चर्चा संबंधित जी.बी. की बैठक
	4	गैर-अकादमिक	ग्रुप ए	13.71[3]	

[1] 19 में से सिर्फ 8 वैज्ञानिक पदों के लिए ₹ 40 लाख की गणना की गई है।

[2] केवल 2013-14 के लिए।

[3] केवल 2 गैर-अकादमी स्टाफ के लिए ₹ 13.71 लाख की गणना की गई है।

स्वायत्त निकाय	सृजन/अपग्रेड किए गए पद	अपग्रेड किए गए पद का नाम	स्तर	वेतन पर किए गए व्यय (₹ लाख में)	लेखापरीक्षा टिप्पणी पर स्वायत्त निकाय का उत्तर
					के दौरान की गई थी तथा अध्यक्ष, जीबी, जो सचिव, डीएसटी भी थे, द्वारा मंजूरी दी गई थी, इसलिए बाद में अलग से मंजूरी आवश्यक नहीं
एन.ए.एस.आई.	3	प्रशासनिक	ग्रुप ए	75.46	एन.ए.एस.आई. (मार्च 2015) ने कहा कि पदों का अपग्रेड परिषद द्वारा किया गया था।
बी.एस.आई.पी.	10	वैज्ञानिक	ग्रुप ए	विवरण उपलब्ध नहीं	कोई उत्तर नहीं
डबल्यू.आई.एच.जी.	147	वैज्ञानिक/तकनीकी/ प्रशासनिक	ग्रुप ए से ग्रुप सी	337.00[4]	डबल्यू.आई.एच.जी. ने कहा (मई 2015) कि संस्थान द्वारा पदों के सृजन से संबंधित सूचना डी.एस.टी. को अप्रैल 2004 से कई बार दी गई थी।
आई.ए.एस.	11	प्रकाशन/ प्रशासनिक	ग्रुप ए से ग्रुप सी	विवरण उपलब्ध नहीं	कोई उत्तर नहीं
जे.एन.सी.ए.एस.आर.	26	अकादमिक	ग्रुप ए	विवरण उपलब्ध नहीं	कोई उत्तर नहीं
	36	गैर-अकादमिक	ग्रुप ए से ग्रुप सी	विवरण उपलब्ध नहीं	कोई उत्तर नहीं
टी.आई.एफ़.ए.सी.	20	तकनीकी/गैर-तकनीकी	ग्रुप ए	विवरण उपलब्ध नहीं	कोई उत्तर नहीं
कुल	**486**			**3,044.81**	

[4] 147 में से सिर्फ 8 वैज्ञानिक पदों के लिए ₹ 3.37 करोड़ की गणना की गई है।

परिशिष्ट V (पैराग्राफ 3.4.1 देखें)

मुख्य कार्यकारी की भर्ती से संबंधित चयनित स्वायत्त निकायों के बाई-लॉज/विनियमों में व्यतिक्रम

स्वायत्त निकाय	वर्तमान नियंत्रण का विवरण	वर्तमान नियंत्रण डीओपीटी के अनुदेश के अनुरूप हैं या नहीं	टिप्पणियां
बीएसआईपी	खोज-सह--का गठन डीओपीटी के चयन समिति द्वारा जारी अनुदेशों के अनुरूप किया जाएगा। समिति में पाँच से अधिक लोग नहीं रहेंगे। समिति के सदस्य विशेषज्ञता के क्षेत्र के प्रख्यात विशेषज्ञ होंगे। समिति की संरचना डीओपीटी द्वारा मंज़ूर की जाएगी।	आंशिक	समिति द्वारा सिफ़ारिश की जाने वाली पैनल की एक वर्ष की अवधि निर्धारित नहीं थी।
आईएसीएस	परिषद निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार की पूर्व मंज़ूरी से तथा भारत सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित भर्ती नियमावली एवं प्रक्रियाओं का पालन कराते हुए की जाएगी।	नहीं	खोज सह चयन समित के बारे में उल्लेख नहीं है जैसा कि डी.ओ.पी.टी. के अनुदेश में परिकल्पित है।
एआरआईईएस, सीएनएसएमएस	निदेशक पद पर नियुक्ति परिषद द्वारा खोज-सह-चयन समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर केंद्र सरकार की पूर्व मंज़ूरी से की जाएगी। खोज-सह-चयन समिति का गठन भी परिषद द्वारा केंद्र सरकार की मंज़ूरी से की जाएगी। सचिव, डीएसटी खोजचयन समिति-सह- के अध्यक्ष होंगे।	नहीं	अध्यक्ष एवं कम से कम एक बाहरी प्रख्यात विशेषज्ञ सहित अधिक से अधिक पांच सदस्यों वाले समिति की संरचना निर्धारित नहीं की गई थी। समिति द्वारा सिफ़ारिश की जाने वाली पैनल की एक वर्ष की अवधि निर्धारित नहीं थी।
जेएनसीएएसआर/एसएनबीएनसीबीएस/बीआई/आरआरआई/एनएएसआई	नियुक्ति केंद्र के प्रबंध परिषद द्वारा किए जाने के लिए:/ शासी निकाय द्वारा गठित खोज-सह-चयन समिति की सिफ़ारिश पर शासी निकाय के आमंत्रण द्वारा/ संस्थान के भीतर चयन समिति की सिफ़ारिश पर परिषद द्वारा/ ट्रस्ट नियुक्ति हेतु प्रक्रिया बना सकता है/ किसी आर एंड डी संस्थान ने, एस एंड टी कार्यक्रम के प्रबंधन एवं समन्वय में ज़िम्मेवार पद पर 15 वर्षों का अनुभव	नहीं	खोज-सह-चयन समिति के गठन की मंज़ूरी से संबंधित डीओपीटी के परिपत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार, उक्त समिति में संबंधित क्षेत्र से कम से कम एक प्रख्यात विशेषज्ञ शामिल होंगे, एबी द्वारा इस तरह के चयन हेतू मानदंडो को अंतिम रूप देने तथा ज्ञापन एवं संस्था के अंतर्नियम, एवं बाई-लॉज आदि के संशोधन में डीओपीटी के
आईएएस	अकादमी में सभी नियुक्तियाँ अध्यक्ष के द्वारा की जानी चाहिए जो परिषद के प्रमुख है	नहीं	
आईएनएसए	खोज-सह-चयन समिति	नहीं	

आईआईजी	निदेशक पद पर नियुक्ति शासी परिषद द्वारा की जाएगी। नियुक्ति, हालांकि, भारत सरकार की पूर्व मंजूरी से की जाएगी।	नहीं	दिशा-निर्देशों को पूरी तरह सम्मिलित किया जाएगा। यह अनुपस्थित था।
एआरआई	निदेशक पद पर नियुक्ति शासी निकाय द्वारा केंद्र सरकार की सहमति से की जाएगी।	नहीं	
टीआईएफ़एसी	निदेशक का नियुक्ति प्राधिकार टीआईएफ़एसी की जीबी को है।	नहीं	
डबल्यूआईएचजी	संस्थान के निदेशक विख्यात पृथ्वी वैज्ञानिक होंगे तथा जीबी द्वारा नियुक्त किए जाएंगे	नहीं	
आईआईए, एआरसीआई	नियुक्ति भारत सरकार की पूर्व मंजूरी से शासी परिषद द्वारा की जाएगी।	नहीं	खोज-सह-चयन समिति का कोई उल्लेख नहीं था जैसा कि डीओटीपी के निदेश में परिकल्पित था।

परिशिष्ट VI (पैराग्राफ 3.4.3 देखें)

सरकारी भर्ती नियमावली तथा स्वायत्त निकायों के भर्ती नियमावली में समाविष्ट प्रावधानों में व्यतिक्रम

स्वायत्त निकाय	केंद्र सरकार भर्ती नियमावली में प्रावधान	स्वायत्त निकायों द्वारा भर्ती नियमावली में व्यतिक्रम
सी.एन.एस.एम.एस.	भर्ती की उच्चतम आयु सीमा वैज्ञानिक सी-35 वर्ष वैज्ञानिक डी-40 वर्ष वैज्ञानिक ई-45 वर्ष	वैज्ञानिक सी से ई संवर्ग में भर्ती की उच्चतम आयु सीमा में पाँच वर्षों की छूट दी गई थी।
डबल्यू.आई.एच.जी.	भर्ती की उच्चतम आयु सीमा वैज्ञानिक सी-35 वर्ष वैज्ञानिक डी-40 वर्ष वैज्ञानिक ई-45 वर्ष	वैज्ञानिक सी से ई संवर्ग में भर्ती की उच्चतम आयु सीमा में पाँच वर्षों की छूट दी गई थी।
जे.एन.सी.ए.एस.आर.	शैक्षिक योग्यता प्रोफेसर- पीएचडी योग्यता सहित विख्यात शोध छात्र तथा 10 वर्षों का शिक्षण अनुभव एसोसिएट प्रोफेसर- पीएचडी की डिग्री के साथ कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर एवं 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव	साथी एवं सहयोगी कर्मचारियों के लिए कोई अनिवार्य तथा वांछनीय शैक्षिक योग्यता एवं उच्चतम आयु सीमा नहीं को जोड़ा गया था।
ए.आर.आई.ई.एस.	भर्ती की आयु सीमा, योग्यता और अनुभव वैज्ञानिक सी-35 वर्ष वैज्ञानिक डी-40 वर्ष वैज्ञानिक ई-45 वर्ष वैज्ञानिक एफ़-50 वर्ष वैज्ञानिक जी-50 वर्ष कुलसचिव- कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर, 15 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव जिसमें 8 वर्ष उप-कुलसचिव के रूप में उप-कुलसचिव- कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर, सहायक	वैज्ञानिक/अभियंता संवर्ग में भर्ती हेतु कोई उच्चतम आयु सीमा विनिर्दिष्ट नहीं था। कुलसचिव, उप/सहायक कुलसचिव तथा सहयोगी कर्मचारी की नियुक्ति हेतु शर्तें एवं निबंधन प्राप्य नहीं थें।

स्वायत्त निकाय	केंद्र सरकार भर्ती नियमावली में प्रावधान	स्वायत्त निकायों द्वारा भर्ती नियमावली में व्यतिक्रम
	कुलसचिव के रूप में 5 वर्ष का अनुभव	
आई.ए.सी.एस.	वरिष्ठ प्रोफेसर का कोई पद नहीं कुलसचिव - कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर, 15 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव जिसमें 8 वर्ष उप-कुलसचिव के रूप में उप-कुलसचिव- कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर, सहायक कुलसचिव के रूप में 5 वर्षों का अनुभव	वरिष्ठ प्रोफेसर तथा प्रोफेसर हेतु योग्यता निर्धारित नहीं की गई थी जबकि केंद्र सरकार भर्ती नियमावली में उसकी आवश्यकता थी। कुलसचिव तथा उप कुलसचिव की भर्ती हेतु अपेक्षित अंकों का प्रतिशत निर्धारित नहीं था।
एस.एन.बी.एन.सी.बी.एस.	भर्ती नियमावली में वैज्ञानिक तथा अकादमिक कर्मचारी दोनों के लिए सामानांतर भर्ती की व्यवस्था थी, जो कि केंद्र सरकार भर्ती नियमावली में उपलब्ध नहीं है। वैज्ञानिक बी -जीपी 5,400 वरिष्ठ प्रोफेसर का कोई पद नहीं	भर्ती नियमावली में वैज्ञानिक तथा अकादमिक कर्मचारी दोनों के लिए सामानान्तर भर्ती की व्यवस्था थी, जो कि केंद्र सरकार भर्ती नियमावली में उपलब्ध नहीं है। नियमों में ₹ 6600 के जीपी में वैज्ञानिकों की शुरूआती भर्ती का प्रावधान भी था, जो कि केंद्र सरकार भर्ती नियमावली में निर्धारित नहीं है। इसके अलावा, भर्ती नियमावली में वरिष्ठ प्राध्यापकों की सीधे भर्ती के लिए भी प्रावधान था जबकि केंद्र सरकार भर्ती नियमावली में वह उपलब्ध नहीं है।
बी.आई.	प्राध्यापक की भर्ती के मामलें में, अनिवार्य योग्यता प्रख्यात पीएचडी शोध छात्र सहित कम से कम दस प्रकाशनों यथा पुस्तक एवं/अथवा शोध/नीति पत्रों, प्रोद्योगिकी परिकल्पना में योगदान भी है।	प्रोफेसर के लिए आवश्यक योग्यता डॉक्टरेट की उपाधि तथा प्रकाशित उच्च स्तरीय शोध कार्य था। एक ओर जहां कर्मचारी के प्रत्येक श्रेणी हेतु ऊपरी आयु सीमा नियत था, वहीं दूसरी ओर संस्थान ने एक सामान्य खण्ड यह बताते हुए रखा कि सीधे भर्ती के मामले में, दूसरे प्रकार से सुयोग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में: आयु सीमा, योग्यता तथा किसी भी पद के लिए अन्य आवश्यकताएँ नियुक्ति प्राधिकार के विवेकानुसार

स्वायत्त निकाय	केंद्र सरकार भर्ती नियमावली में प्रावधान	स्वायत्त निकायों द्वारा भर्ती नियमावली में व्यतिक्रम
		कम की जा सकती थी, तथा दूसरी ओर यह कि केवल बीआई में कार्यरत अभ्यर्थियों के मामले में आयु-सीमा लागू नहीं होगी।
	वरिष्ठ व्याख्याता की भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है।	भर्ती नियमावली में वरिष्ठ व्याख्याता के लिए सीधे भर्ती का प्रावधान शामिल किया गया था।
	कुलसचिव तथा उप-कुलसचिव के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर है।	निर्धारित योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से केवल डिग्री (स्नातक) था।
एन.ए.एस.आई.	बैज्ञानिक ई/एफ ग्रेड के लिए पीएचडी अनिवार्य है।	अनिवार्य योग्यता स्नातकोत्तर निर्धारित था।
बी.एस.आई.पी.	योग्यता और अनुभव वैज्ञानिक सी-35 वर्ष वैज्ञानिक डी-40 वर्ष वैज्ञानिक ई-45 वर्ष वैज्ञानिक एफ़-50 वर्ष वैज्ञानिक जी-50 वर्ष	वैज्ञानिक 'सी' से वैज्ञानिक 'जी' के लिए आयु में 5 वर्षों की छूट दी गई थी।
	योग्यता प्राकृतिक अथवा कृषि विज्ञान में डाक्टरेट की उपाधि जीपी ₹4600 में तकनीकी कर्मचारी के लिए उच्च आयु सीमा 30 वर्ष है। कुलसचिव- कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर, 15 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव जिसमें 8 वर्ष उप-कुलसचिव के रूप में	वैज्ञानिक 'ई' तथा वैज्ञानिक 'एफ़' की भर्ती में निर्धारित पीएचडी की अनिवार्य योग्यता आवश्यक नहीं है। तकनीकी कर्मचारी की भर्ती के लिए भी आयु में छूट निर्धारित की गई थी। कुलसचिव की भर्ती के मामले में कोई शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं थी।
आई.आई.ए.	वैज्ञानिक सी-35 वर्ष वैज्ञानिक डी-40 वर्ष वैज्ञानिक ई-45 वर्ष वैज्ञानिक एफ़-50 वर्ष योग्यता और अनुभव	वैज्ञानिक/तकनीकी पदों के लिए कोई उच्च आयु-सीमा निर्धारित नहीं थी। वैज्ञानिक बी वैज्ञानिक सी तथा वैज्ञानिक डी के पदों के संबंध में विहित आवश्यक अनुभव केंद्र सरकार

स्वायत्त निकाय	**केंद्र सरकार भर्ती नियमावली में प्रावधान**	**स्वायत्त निकायों द्वारा भर्ती नियमावली में व्यतिक्रम**
	वैज्ञानिक जी-50 वर्ष	भर्ती नियमावली में निर्धारित आवश्यक अनुभव से कम था।
	कुलसचिव - कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर, 15 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव जिसमें उप-कुलसचिव के रूप में 8 वर्ष का अनुभव उप-कुलसचिव- कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर, सहायक कुलसचिव के रूप में 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव	कुलसचिव के पद के लिए कोई अनिवार्य शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं
ए.आर.सी.आई.	आयु सीमा वैज्ञानिक सी-35 वर्ष वैज्ञानिक डी-40 वर्ष वैज्ञानिक ई-45 वर्ष वैज्ञानिक एफ़-50 वर्ष वैज्ञानिक जी-50 वर्ष योग्यता कुलसचिव - कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर, 15 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव जिसमें उप-कुलसचिव के रूप में 8 वर्ष का अनुभव उप-कुलसचिव- कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर, सहायक कुलसचिव के रूप में 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव	वेतनमान ₹18400-22400 के लिए शैक्षिक एवं अन्य योग्यता निर्धारित नहीं थी। न्यूनतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट दी गई थी।
आई.ए.एस.	आयु सीमा वैज्ञानिक सी-35 वर्ष वैज्ञानिक डी-40 वर्ष वैज्ञानिक ई-45 वर्ष वैज्ञानिक एफ़-50 वर्ष वैज्ञानिक जी-50 वर्ष योग्यताएँ	कोई आयु मानदंड/कोई निर्धारित/ वांछनीय योग्यता उपलब्ध नहीं। नियुक्ति के लिए आवेदन पर भी अकादमी के अधिसदस्यों की सिफ़ारिशों के आधार पर विचार किया गया।

स्वायत्त निकाय	केंद्र सरकार भर्ती नियमावली में प्रावधान	स्वायत्त निकायों द्वारा भर्ती नियमावली में व्यतिक्रम
	कुलसचिव - कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर, 15 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव जिसमें उप-कुलसचिव के रूप में 8 वर्ष का अनुभव उप-कुलसचिव- कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर, सहायक कुलसचिव के रूप में 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव	
आई.आई.जी.	यूजीसी वेतनमानों के अनुसार, विविध पदों के वेतनमान, प्रोफेसर [₹ 4,500-7,300], व्याख्याता (वरिष्ठ)/प्रवाचक [₹ 3,700-5,700, व्याख्याता (वरिष्ठ) [₹ 3,000-5,000] एवं व्याख्याता (₹ 2,200-4,000] थें।	भर्ती नियमावली के अनुसार वेतनमान प्राध्यापक (जी) [₹ 5,900-6,700], प्रोफेसर (एफ़) [₹ 5,100-6,300], सह प्राध्यापक [₹ 3,700-5,000], उपाचार्य [₹ 3,000-4,500] एवं अधिसदस्य [₹ 2,200-4000] थें।

परिशिष्ट VII (पैराग्राफ 3.4.4 (अ) देखें)

भारतीय विज्ञान अकादमी में भर्ती प्रक्रिया में कमियाँ

वर्ष	पद	लेखापरीक्षा टिप्पणी
2013-14	लेखा सहायक	साक्षात्कार हेतू पुष्ट किए गए अभ्यर्थियों के रूप में उसका उल्लेख करते हुए 'लेखा सहायक के पद हेतू प्राप्त आवेदनों का विवरण' शीर्षक का शीट हस्ताक्षरित नहीं था। सूचना जैसे कि प्राप्त आवेदनों की संख्या एवं आवेदनों को जाँचने के लिए अपनाए गए मानदंड अभिलेख में नहीं थे। चयन समिति द्वारा आवेदकों को कोई अंक प्रदान नहीं दिया गया था।
	सहायक कार्यकारी संपादक	सूचना जैसे के प्राप्त आवेदनों की संख्या एवं अभ्यर्थियों को संक्षिप्त सूचीबद्ध करने के लिए अपनाया गया मानदंड आदि अभिलेख में नहीं था। पद के लिए दिए गए विज्ञापन के अनुसार, आवेदक को 15 वर्षों से अधिक का संबंधित अनुभव आवश्यक था। 12 संक्षिप्त सूचीबद्ध आवेदको में से सिर्फ दो अभ्यर्थी मानदंडों को पूरा करते थे परंतु दोनों ने साक्षात्कार में भाग नहीं लिया। इस पद के लिए अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी के पास 12 वर्षों का अनुभव था और इस प्रकार वह इस पद हेतू पात्र नहीं था।
2012-13	सहायक कार्यकारी सचिव	विज्ञापन में पदों की संख्या का उल्लेख नहीं था। आवेदनों का विवरण शीट हस्ताक्षरित नहीं था। विज्ञापन के अनुसार आवेदक की आयु 52 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। एक आवेदक जो आंतरिक अभ्यर्थी था उससे अधिक उम्र का था इसलिए वह इस पद के लिए पात्र नहीं था। फिर भी, उसका आवेदन या तो जांच के चरण में या साक्षातर के चरण में अस्वीकार नहीं किया गया।
	कार्यकारी संपादक	विज्ञापन में पदों की संख्या का उल्लेख नहीं था। आवेदनों का विवरण शीट हस्ताक्षरित नहीं था। विज्ञापन के अनुसार आवेदक की आयु 52 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह भी पाया गया की आंतरिक अभ्यर्थी में से एक की आयु 52 वर्ष दिखाई गई थी जब की अंतिम तिथि को उसकी आयु 52 वर्ष एक महीना और 11 दिन था। इस प्रकार सही आंकड़ा गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया था।
	प्रशासनिक सहायक	विज्ञापन में पदों का उल्लेख नहीं था। आवेदनो का विवरण का शीट हस्ताक्षरित नहीं था। विज्ञापन के अनुसार अभ्यर्थी के पास 30 शब्द प्रति मिनट टंकण गति होनी चाहिए। टंकण जांच परीक्षा अगर कोई, अभ्यर्थियों के टंकण ज्ञान सुनिश्चित करने के लिए अकादमी द्वारा लिया गया हो, से संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। तीन आवेदन कम अनुभव के आधार पर अस्वीकार किए गए थे हालांकि सभी के पास तीन वर्षों से अधिक का अनुभव था जैसा कि निर्धारित था।
	उप कार्यकारी सचिव	विज्ञापन के अनुसार अभ्यर्थी के पास किसी सरकारी/अर्ध-सरकारी/स्वायत्त संगठन/उच्चतर शिक्षा के शैक्षणिक संस्थानों में प्रशासन में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव होना चाहिए जिसमें से कम से कम 10 वर्षों का किसी पर्यवेक्षी पद में होनी चाहिए। नौ अभ्यर्थियों, जिन्होंने आवेदन किया था, में से किसी भी अभ्यर्थी के पास विज्ञापन के अनुसार आवश्यक अनुभव नहीं था। फिर भी, अकादमी ने तीन अभ्यर्थी को संक्षिप्त सूचीबद्ध किया तथा पात्रता मानदंडो को पूरा नहीं करने के बावजूद एक व्यक्ति का चयन कर लिया।

वर्ष	पद	लेखापरीक्षा टिप्पणी
2010-11	**लेखा अधिकारी, कॉपी संपादक एवं प्रशासनिक सहायक**	लेखा अधिकारी के पद हेतू अकादमी को 135 आवेदन प्राप्त हुए तथा 12 आवेदनों को संक्षिप्त सूचीबद्ध किया। इसी प्रकार, कॉपी संपादक के मामले में अकादमी को 122 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 13 आवेदन संक्षिप्त सूचीबद्ध किए गए तथा प्रशासनिक सहायक हेतू 148 आवेदन प्राप्त किए गए एवं 13 आवेदन संक्षिप्त सूचीबद्ध किए गए। अभिलेख में कोई मानदंड नहीं था जिसके आधार पर इतनी बड़ी संख्या में आवेदनों को अस्वीकार किया गया।
	कार्यकारी सचिव	अकादमी ने खुले विज्ञापन द्वारा कार्यकारी सचिव के पद हेतू आवेदन आमंत्रित किये। विज्ञापन में आवेदक के अधिकतम आयु के बारे में कोई सूचना निहित नहीं थी। अकादमी के अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेने के लिए सात सदस्यों की चयन समिति गठित की। फिर भी, आवेदनों की जांच के लिए समिति द्वारा अपनाया गया मानदंड अभिलेख में नहीं था।
2009-10	**प्रकाशन कार्मिक**	अकादमी ने अपनी पत्रिका के संपादन, प्रूफ पढ़ने एवं सामान्य उत्पादन हेतू अनुभवी प्रकासन कार्मिक के लिए विज्ञापन जारी (मार्च 2007) किया। तथापि, अकादमी ने भरे जाने के लिए स्थिति, पदों कि संख्या, क्या अस्थाई अथवा स्थाई, आयु सीमा इत्यादि का खुलासा नहीं किया। विज्ञापन के विरुद्ध 14 आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदनों की जांच, अनुशंसित अभ्यर्थियों, चयन समिति द्वारा साक्षात्कार का विवरण इत्यादि से संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था।

परिशिष्ट VIII (पैराग्राफ 3.4.4 (बी) देखें)

भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बेंगलुरू में भर्ती में मुद्दे

मुद्दे	लेखापरीक्षा टिप्पणी
खुले विज्ञापन के बिना की गई भर्ती	एक सह प्राध्यापक एवं छह उपाचार्य की भर्ती 2009-10 से 2013-14 के दौरान की गई थी, फिर भी, किसी भी मामले में अकादमिक पदों हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए पात्रता मानदंड, आयु, शैक्षणिक योग्यता, रिक्तियों की संख्या दर्शाते हुए विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप एसोसिएट प्रोफेसर के पद हेतु सिर्फ एक व्यक्ति ने आवेदन किया और चयनित कर लिया गया। की भर्ती के लिए आईआईए को 11 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से चार अभ्यर्थी स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुशंसित किए गए थें। तथापि, चयन समिति ने रीडर के पद हेतु उस अभ्यर्थी को विचार किया जो चौथे स्थान पर था तथा आवश्यक पाँच वर्षों का अनुभव नहीं होने के बावजूद नियुक्त किया गया।
अयोग्य अभ्यर्थियों की भर्ती	संस्थान ने लेह में ड्राइवर के एक पद (अनारक्षित) को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किया तथा अप्रैल 2013 में विज्ञापन जारी किया। 23 आवेदन प्राप्त हुए। विज्ञापन के अनुसार पद के लिए योग्यता एसएसएलसी (10वीं) एवं निर्धारित उम्र 28 वर्ष से कम थी। उन मामलों में योग्यता में छूट दी जा सकती थी जहां अभ्यर्थी के पास काफी ऊँचाई एवं पहाड़ी क्षेत्रों में ड्राइविंग में पाँच वर्षों से अधिक का अनुभव था। स्क्रीनिंग समिति ने साक्षात्कार हेतु आठ अभ्यर्थियों की सिफ़ारिश की जिस में से एक अभ्यर्थी को आयु में छूट दी गयी थी। हमने देखा कि आठ अनुशंसित अभ्यर्थियों में से तीन के पास न्यूनतम योग्यता नहीं थी। तत्पश्चात संस्थान की चयन समिति ने छह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया और उस पद के लिए एक अभ्यर्थी की सिफारिश की तथा दो अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा। तथापि, चयन समिति द्वारा अनुशंसित व्यक्ति के बजाय प्रतीक्षा सूची के व्यक्ति को नियुक्ति प्रदान किया गया, जो अनियमित था। इसके अलावा, चयन के लिए शुरुआत में अनुशंसित किए गए व्यक्ति को भी बाद में नियुक्ति प्रदान किया गया, यह कहते हुए कि विज्ञापित पद सामान्य श्रेणी के लिए था और उस पद को तत्काल आधार पर एसटी अभ्यर्थी की नियुक्ति करके भर दिया गया था। इसके अलावा, पदों के रोस्टर के सारांश की जांच में पता चला कि ओबीसी श्रेणी को छोड़ कर किसी भी श्रेणी में कोई रिक्ति नहीं थी। इस प्रकार ओबीसी श्रेणी की रिक्ति के विरुद्ध एसटी अभ्यर्थी की नियुक्ति भी अनियमित थी।
उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना शीर्ष प्रबंधन की भर्ती	डीएसटी ने खोज-सह-चयन समिति का गठन (जो डीओपीटी की मंज़ूरी से गठित किया जाना था) किए बगैर जनवरी 2006 में एसीसी की मंज़ूरी से संस्थान के निदेशक की नियुक्ति की। तत्पश्चात, एक वर्ष (01 जुलाई 2012 से 30 जून 2013) के लिए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था। तथापि, कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति के लिए भी एसीसी की मंज़ूरी प्राप्त नहीं की गई थी।

परिशिष्ट IX (पैराग्राफ 3.5.1 i देखें)

इंडियन एसोसिएशन फॉर दि कल्टिवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता में न्यूनतम रेजीडेंसी अवधि में कमी

(राशि ₹ में)

शैक्षिक स्टाफ की श्रेणी	न्यूनतम निवास की अवधि	वेतनमान	न्यूनतम निवास की अवधि	वेतनमान	न्यूनतम निवास की अवधि	वेतनमान	न्यूनतम निवास की अवधि	वेतनमान
	1998-2004 में यूजीसी मानदंड		1998-2004 में आईएसीएस में कार्य		2004 के बाद यूजीसी मानदंड		2004 के बाद आईएसीएस में कार्य	
निदेशक	परिभाषित नहीं	परिभाषित नहीं	परिभाषित नहीं	परिभाषित नहीं	परिभाषित नहीं	परिभाषित नहीं		26,000 (स्थिर)
चेयर प्रोफेसर	परिभाषित नहीं	परिभाषित नहीं	परिभाषित नहीं	परिभाषित नहीं	परिभाषित नहीं	परिभाषित नहीं		22,400-24,500
व. प्रोफेसर	परिभाषित नहीं	परिभाषित नहीं	परिभाषित नहीं	परिभाषित नहीं	परिभाषित नहीं	परिभाषित नहीं	5 वर्ष 4 वर्ष के पश्चात असाधारण प्रदर्शन के मामले में	18,400-22,400
प्रोफेसर	रीडर के रूप में 8 वर्ष की सेवा	16,400-22,400	7 वर्ष 5 वर्ष के पश्चात असाधारण प्रदर्शन के मामले में	16,400-22,400	रीडर के रूप में 8 वर्ष की सेवा	16,400-22,400	5 वर्ष 4 वर्ष के पश्चात असाधारण प्रदर्शन के मामले में	16,400-20,000
रीडर/ लेक्चरर	वरिष्ठ वेतनमान में 5 वर्षों की सेवा	12,000-18,300	7 वर्ष 5 वर्ष के पश्चात असाधारण प्रदर्शन के मामले में	12,000-18,300	वरिष्ठ वेतनमान में 5 वर्षों की सेवा	12,000-18,300	5 वर्ष 4 वर्ष के पश्चात असाधारण प्रदर्शन के मामले में	14,300-18,300 (एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में)
व. लेक्चरर	उनके लिए जो एम. फिल एवं पीएचडी हैं को एक वर्ष एवं दो वर्षों की छूट के साथ 6 वर्ष	10,000-15,200	5 वर्ष 2 वर्षों के पोस्ट-डॉक्टोरल अनुभव तब तीन वर्ष के पूर्ण होने पर	10,000-15,200	उनके लिए जो एम. फिल एवं पीएचडी हैं को एक वर्ष एवं दो वर्षों की छूट के साथ 6 वर्ष	10,000-15,200	4 वर्ष 3 वर्ष के पश्चात असाधारण प्रदर्शन के मामले में	12,000-18,000 (असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में)
लेक्चरर		8,000-13,500		8,000-13,500		8,000-13,500		10,000-15,200 (संकाय सदस्य के रूप में)

***परिशिष्ट X** (पैराग्राफ 3.7.1 देखें)*

स्वायत्त निकायों के बाई-लॉज में सेवानिवृत्ति प्रावधानों की मौजूदगी

स्वायत्त निकाय	**केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार बाई-लॉज में नियंत्रण प्रावधानों को सम्मिलित करना**	**जिसके लिए डी.एस.टी. तथा एम.ओ.एफ. का अनुमोदन रिकार्ड में नही पाया गया के संबंध में जीबी/जीसी द्वारा बनाए गए नियम जिनका प्रावधान सरकारी नियमों से भिन्न था।**	**सम्मिलित नहीं किए गए प्रावधान**
एआरसीआई	अधिवर्षिता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, विस्तार, ग्रेच्युटी, ईपीएफ़	चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति, समाप्ति	शून्य
एआरआई	अधिवर्षिता की आयु, सेवा समाप्ति, चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक/अनिवार्य सेवानिवृत्ति, ग्रेच्युटी, जीपीएफ़/सीपीएफ़, विस्तार	शून्य	शून्य
एआरआईईएस	अधिवर्षिता की आयु, विस्तार, जीपीएफ़, पेंशन, ग्रेच्युटी, स्वैच्छिक/अनिवार्य सेवानिवृत्ति	चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति	सेवा समाप्ति
बीआई	शून्य	अधिवर्षिता, विस्तार, समाप्ति और भविष्य निधि	पेंशन, ग्रेच्युटी, स्वैच्छिक/अनिवार्य सेवानिवृत्ति, चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति
बीएसआईपी	अधिवर्षिता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, पेंशन, ग्रेच्युटी, विस्तार	समाप्ति, चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, जीपीएफ़	शून्य
सीएनएसएमएस	अधिवर्षिता, ग्रेच्युटी/सीपीएफ़, स्वैच्छिक/अनिवार्य सेवानिवृत्ति, अधिवर्षिता से आगे विस्तार	सेवा समाप्ति	चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति
आईएसीएस	विस्तार	पेंशन, भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति लाभ, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	अधिवर्षिता, समाप्ति, चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, ग्रेच्युटी
आईएएस	शून्य	विस्तार, जीपीएफ़, पेंशन, अधिवर्षिता की आयु	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, चिकित्सा आधार पर सेवानिवृति
आईआईए	पेंशन, भविष्य निधि, अधिवर्षिता	विस्तार	समाप्ति, चिकित्सा आधार पर सेवानिवृति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
आईआईजी	अधिवर्षिता की आयु, सेवा समाप्ति, चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक/अनिवार्य सेवानिवृत्ति, ग्रेच्युटी, जीपीएफ़/सीपीएफ़, विस्तार	शून्य	शून्य
आईएनएसए	अधिवर्षिता की आयु, सेवा समाप्ति, चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक/अनिवार्य सेवानिवृत्ति, ग्रेच्युटी, जीपीएफ़/सीपीएफ़, विस्तार	शून्य	शून्य
जेएनसीएएसआर	शून्य	सेवानिवृत्ति लाभ, व्स्तार, सेवा समाप्ति, चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति एवं	अधिवर्षिता, जीपीएफ़/सीपीएफ़

स्वायत्त निकाय	**केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार बाई-लॉज में नियंत्रण प्रावधानों को सम्मिलित करना**	**जिसके लिए डी.एस.टी. तथा एम.ओ.एफ. का अनुमोदन रिकार्ड में नही पाया गया के संबंध में जीबी/जीसी द्वारा बनाए गए नियम जिनका प्रावधान सरकारी नियमों से भिन्न था।**	**सम्मिलित नहीं किए गए प्रावधान**
		स्वैच्छिक सेवानिवृति	
एनएएसआई	अधिवर्षिता, समाप्ति, समयपूर्व सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति लाभ	सेवा विस्तार	जीपीएफ़/सीपीएफ़
आरआरआई	शून्य	अधिवर्षिता, विस्तार, जीपीएफ़/सीपीएफ़, समाप्ति, सेवानिवृत्ति लाभ, ग्रेच्युटी	चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक/अनिवार्य सेवानिवृत्ति
एसएनबीए नसीबीएस	सेवा-निवृत्ति	अनिवार्य सेवानिवृत्ति, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी	विस्तार, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति, जीपीएफ़/सीपीएफ़, सेवा समाप्ति
टीआईएफ़एसी	अधिवर्षिता की आयु	विस्तार, समाप्ति	चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक/अनिवार्य सेवानिवृत्ति, ग्रेच्युटी, जीपीएफ़/सीपीएफ़
डबल्यूआईए चजी	पेंशन, ग्रेच्युटी एवं जीपीएफ़	अधिवर्षिता सहित सेवानिवृत्ति, अनिवार्य एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	विस्तार, समाप्ति, चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति

पारिभाषिक शब्दावली

संक्षिप्त	पूर्ण रूप
एबी	स्वायत्त निकाय
एसीपी	एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेसन
एजीपी	शैक्षिक ग्रेड पे
एम्स	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
एआरसीआई	अंतर्राष्ट्रीय पाउडर धातु विज्ञान एवं उन्नत अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद
एआरआई	आघारकर अनुसंधान संस्थान, पुणे
एआरआईईएस	आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, नैनीताल
बीआई	बसु संस्थान, कोलकाता
बीएसआईपी	बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान, लखनऊ
सीएनएसएमएस	सेंटर फॉर सॉफ्ट मैटर रिसर्च, बंगलुरु
डीएफ़पीआर	वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम
डीओपीटी	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
डीएसटी	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
ईएफ़सी	व्यय वित्त समिति
ईपीएफ़	कर्मचारी भविष्य निधि
ईएस	कार्यकारी सचिव
एफ़सीएस	फ्लैक्सिबल कंप्लीमेंटिंग स्कीम
एफ़आरएसआर	फंडामेंटल रुल्स एंड सप्लिमेंट्री रूल्स
जीबी	संचालक मंडल

संक्षिप्त	पूर्ण रूप
जीसी	संचालन परिषद
जीएफ़आर	सामान्य वित्तीय नियमावली
जीओआई	भारत सरकार
जीपी	ग्रेड पे
एचबीए	गृह निर्माण अग्रिम
एचपीसीए	अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता
एचआरए	आवास भत्ता
आईएसीएस	इंडियन एसोसिएशन फर दि कल्टिवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता
आईएएस	भारतीय विज्ञान अकादमी, बेंगलुरु
आईआईए	भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बेंगलुरु
आईआईजी	भारतीय भू-चुम्बकत्व संस्थान, मुंबई
आईएनएसए	भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली
जेएनसीएएसआर	जवाहर लाल नेहरु उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, बेंगलुरु
एलसी	साख पत्र
एलआरए	शिक्षा अनुसंधान भत्ता
एलटीसी	छुट्टी यात्रा रियायत
एमएसीपी	मोडिफाइड एस्सोर्ड कैरियर प्रोग्रेसन
एमएचएफ़डबल्यू	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
एमएचआरडी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एमओए	संस्थापन प्रलेख
एमओएफ़	वित्त मत्रांलय
एमएसटी	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एनएएसआई	राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी-इंडिया, इलाहाबाद

संक्षिप्त	पूर्ण रूप
एनजीओ	गैर-सरकारी संगठन
एनपीए	गैर-अभ्यास भत्ता
ओएम	कार्यालय ज्ञापन
आर&डी	अनुसंधान और विकास
आरएमसी	संसाधन प्रबंधन समिति
आरआरआई	रमन अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु
आरआर	रिक्वाइरमेंट रूल्स
एस&टी	विज्ञान और तकनीक
एससीटीआईएमएसटी	श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइन्स एंड टेक्नालजी, त्रिवंद्रुम
एसएनबीएनसीबीएस	सत्येंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइन्स, कोलकाता
एसआरसी	संरचनात्मक सुधार समिति
एसआर	सप्लिमेंट्री रूल्स
एसएससी	खोज-सह-चयन समिति
टीए	यात्रा भत्ता
टीडीबी	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, दिल्ली
टीआईएफ़एसी	प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद, दिल्ली
यूसी	उपयोगिता प्रमाणपत्र
यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
यूएसएसआर	सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य
डबल्यूआईएचजी	वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान, देहरादून

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in